[2022] 15 एस. सी. आर. 57

एमएस। एक्स

वी.

पंजीकृत सामान्य, मध्य का उच्च न्यायालय

प्रसाद और एक और

(2018 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1137)

10 फरवरी, 2022

[एल. नागेश्वर राव और बी. आर. गवई, जे. जे.]

न्यायिक सेवाएँ-मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवाएँ (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2017-स्थानांतरण

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की नीति-खंड 9,9 (ए)-अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-सेवा में पुनः नियुक्ति-क्या याचिकाकर्ता का इस्तीफा स्वैच्छिक था-याचिकाकर्ता (अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश) के अनुसार, न्यायमूर्ति 'ए' द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया था और उसके बाद उसे दूसरे जिले में स्थानांतरित कर दिया गया था-उसने एक अभ्यावेदन किया जिसमें विस्तार की प्रार्थना की गई थी ताकि उसकी बेटी अपना शैक्षणिक सत्र पूरा कर सके-उसका प्रतिनिधित्व खारिज कर दिया गया था-जिसके परिणामस्वरूप उसने इस्तीफा दे दिया-न्यायाधीश जांच आयोग (जे. आई. सी.) ने न्यायमूर्ति 'ए' को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया-हालांकि, जे. आई. सी. ने पाया कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण अनियमित था और याचिकाकर्ता का स्थानांतरण अनियमित था।

याचिकाकर्ता को सेवा में फिर से नियुक्त किया जाना चाहिए-उनकी बहाली के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उनके प्रतिनिधित्व को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए अनुरोध के बावजूद पूर्ण न्यायालय द्वारा दो बार खारिज कर दिया गया थाः याचिकाकर्ता का स्थानांतरण मध्यावधि में किया गया था, हालांकि उसे सामान्य स्थानान्तरण में बहुत अच्छी तरह से स्थानांतरित किया जा सकता था।

मार्च-अप्रैल में प्रभावी होगा-न तो जिला न्यायाधीश और पोर्टफोलियो न्यायाधीश से टिप्पणियां प्राप्त करने की स्थानांतरण नीति के खंड 9 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया, न ही स्थानांतरण समिति ने स्थानांतरण नीति के खंड 9 (ए) के प्रावधानों पर विचार किया-दूसरे की अस्वीकृति

प्रतिनिधित्व तत्कालीन आरजी के साथ-साथ उच्च न्यायालय की स्थानांतरण समिति के तत्कालीन न्यायाधीश द्वारा दिमाग के पूर्ण गैर-अनुप्रयोग को दर्शाता है-प्रतिवादी निर्णय लेते समय उन कारकों को ध्यान में रखने में विफल रहा, जिन पर विचार करने की आवश्यकता थी।

प्रतिनिधित्व-यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि याचिकाकर्ता ने यह स्थापित किया है कि उसका स्थानांतरण आदेश स्थानांतरण नीति का उल्लंघन था और स्थानांतरण नीति के विपरीत होने के अलावा उसके दो अभ्यावेदनों की अस्वीकृति भी मनमाना थी।

[2022] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

- इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने अपने बोझ का निर्वहन कर दिया था और यह दिखाने के लिए प्रतिवादी पर जिम्मेदारी स्थानांतरित कर दी गई है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण आदेश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निष्पक्ष और उचित था और प्रतिवादी अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, याचिकाकर्ता के इस्तीफे को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता है-इसलिए, याचिकाकर्ता के इस्तीफे को रद्द कर दिया जाता है और प्रतिवादी को फिर से स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है

याचिकाकर्ता।

भारत का संविधान-कला। . 12 12 – एक राज्य के रूप में उच्च न्यायालय प्रशासनिक पक्ष पर अपने कार्यों का प्रयोग करते हुए, सांसद

उच्च न्यायालय भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक राज्य होगा।

आंशिक रूप से रिट याचिका की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी नागरिक की केवल उचित या वैध अपेक्षा

यह अपने आप में एक विशिष्ट प्रवर्तनीय अधिकार नहीं है। यह भी माना जाता है कि इस पर विचार करने और इसे उचित महत्व देने में विफलता निर्णय को मनमाना बना सकती है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि देय की आवश्यकता

दावेदार की अपेक्षा संदर्भ में उचित या वैध है या नहीं, यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है। जब भी कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इसका निर्धारण दावेदार की धारणा के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि व्यापक सार्वजनिक हित में किया जाना चाहिए, जिसमें अन्य अधिक महत्वपूर्ण विचार अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, अन्यथा उनकी वैध अपेक्षा क्या होती। दावेदार। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस तरह से सार्वजनिक प्राधिकरण का एक प्रामाणिक निर्णय गैर-मनमानेपन की आवश्यकता को पूरा करेगा और न्यायिक जांच का सामना करेगा। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायिक समीक्षा के कानून में निष्पक्षता के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण स्थान है और शक्ति के कथित प्रयोग में अन्याय ऐसा हो सकता है कि यह दुरुपयोग या शक्ति की अधिकता हो। द.

न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए जहां विवेकाधीन शक्ति का उचित रूप से और सद्भावना से प्रयोग नहीं किया जाता है। [पैरा 40] [80-बी-ई] एमएस।

एक्स वी। पंजीकृत जनरल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और एक अन्य

1.2 इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यद्यपि स्थानांतरण नीति कानून में लागू करने योग्य नहीं हो सकती है, लेकिन जब स्थानांतरण नीति को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासन के लिए तैयार किया गया है जिला न्यायपालिका, प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को एक वैध अपेक्षा होगी कि इस तरह की नीति को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, जब न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण के मामले चल रहे हों।

विचार किया। [पैरा 41] [80-ई-एफ]

2. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण

मध्यावधि के लिए लागू किया गया था, हालांकि उन्हें मार्च अप्रैल, 2014 में प्रभावी होने वाले सामान्य स्थानांतरणों में बहुत अच्छी तरह से स्थानांतरित किया जा सकता था। यहां तक कि मध्यावधि स्थानान्तरण के एजेंडे में भी, जो विभिन्न आधारों पर किए जाने थे, याचिकाकर्ता का नाम शामिल नहीं किया गया था। ग्वालियर के तत्कालीन डी एंड एस. जे. द्वारा तत्कालीन आर. जी. को ग्वालियर से बाहर स्थानांतरित करने की शिकायत को संबोधित करने के बाद ही मामले को कुछ दिनों के भीतर स्थानांतरण समिति के समक्ष रखा गया और स्थानांतरण समिति ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी। स्थानांतरण आदेश की प्राप्ति के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता ने 9 जुलाई 2014 को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें विशेष रूप से बताया गया कि उसकी बेटी 12 वीं कक्षा में पढ़ रही थी और एफ. आई. टी. जे. ई. ई. कोचिंग भी ले रही थी। उक्त अभ्यावेदन को दो दिनों के भीतर खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता को एक वैध उम्मीद थी कि स्थानांतरण नीति के खंड 9 (ए) को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से उनके प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाएगा। स्थानांतरण नीति में प्रावधान है कि इस तरह का अभ्यावेदन किए जाने पर, आर. जी. एक सप्ताह के भीतर जिला न्यायाधीश की टिप्पणियां प्राप्त करेगा और आवश्यक सत्यापन के बाद उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने पर, यह आवश्यक था कि मामले को एक सप्ताह के भीतर संबंधित पोर्टफोलियो न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए, जिन्हें अपनी टिप्पणियों/राय के साथ एक सप्ताह की अवधि के भीतर फाइल वापस करनी थी। निर्विवाद रूप से, न तो जिला न्यायाधीश और पोर्टफोलियो न्यायाधीश से टिप्पणियां प्राप्त करने की स्थानांतरण नीति के खंड 9 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया और न ही स्थानांतरण समिति ने स्थानांतरण नीति के खंड 9 (ए) के प्रावधानों पर विचार किया। [पैरा 46 और 47] [82-डी-एच; 83-ए]

2.1 स्थानांतरण नीति के खंड 10 को देखते हुए याचिकाकर्ता को अपने मामले पर विचार करने की वैध अपेक्षा थी।

4 स्थानों में से किसी पर भी पोस्टिंग करने की स्थिति में तत्कालीन वर्तमान पोस्टिंग पर प्रतिधारण के लिए उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया गया था और इस तरह, वह [2022] 15 एस. सी. आर.

दूसरा प्रतिनिधित्व किया। दूसरे अभ्यावेदन की अस्वीकृति तत्कालीन आर. जी. के साथ-साथ राज्य की स्थानांतरण समिति के तत्कालीन न्यायाधीश द्वारा विचार के पूर्ण गैर-अनुप्रयोग को दर्शाती है। एमपी उच्च न्यायालय। तत्कालीन आर. जी. का प्रस्ताव आकस्मिक तरीके से किया गया था और स्थानांतरण पर तत्कालीन न्यायाधीश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

एक यांत्रिक तरीके से समिति। हस्तांतरण नीति के खंड 22 को ध्यान में रखते हुए हस्तांतरण को उचित ठहराने की कोशिश की गई है। जिन आधारों पर मध्यावधि में स्थानांतरण किया जा सकता है, उनमें से एक यह है कि ऐसे न्यायिक अधिकारी का प्रदर्शन निर्धारित मानदंडों से कम पाया जाता है। वही स्वीकार्य रूप से उपलब्ध नहीं है

वर्तमान मामला। मूल्यांकन में याचिकाकर्ता का प्रदर्शन

15 जनवरी 2014 को तत्कालीन डी एंड एस जे, ग्वालियर द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2013 के लिए किया गया, 'बहुत अच्छा' पाया गया है। यह हमें स्थानांतरण नीति के खंड 22 के तहत उपलब्ध दूसरे आधार के साथ छोड़ देता है, कि यदि ऐसे न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए आधार मौजूद हैं तो स्थानांतरण किया जा सकता है। यहाँ भी ऐसा नहीं है। [पैरा 50 और 51] [84-बी-ई]

2.2 इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्य की कार्रवाई की वैधता का अनुमान है और बोझ है

उस व्यक्ति पर जो अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का आरोप लगाता है

दावे को साबित करने के लिए भारत का संविधान। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां कोई प्रशंसनीय कारण या सिद्धांत इंगित नहीं किया गया है और न ही यह स्पष्ट है और विवादित राज्य की कार्रवाई निम्नानुसार प्रतीत होती है -

मनमाना, मनमाना साबित करने के लिए प्रारंभिक बोझ है

निष्पादित किया गया, जिससे राज्य पर अपनी कार्रवाई को निष्पक्ष और उचित ठहराने की जिम्मेदारी स्थानांतरित हो गई। यदि राज्य अपनी कार्रवाई को उचित और उचित ठहराने के लिए सामग्री प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो मनमानेपन का आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर बोझ को निर्वहन के लिए माना जाना चाहिए। न्यायिक समीक्षा का सीमित दायरा केवल यह संतुष्ट करने के लिए है कि राज्य की कार्रवाई है

मनमानेपन की बुराई से दूषित नहीं और अधिक नहीं। यह समान रूप से तय किया गया है कि यह अदालतों के लिए नहीं है कि वे नीति को फिर से तैयार करें या इसे किसी अन्य के साथ प्रतिस्थापित करें जिसे अधिक माना जाता है।

उचित है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मनमानेपन के आधार पर हमले को यह दर्शाकर सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया है कि जो कार्य किया गया था, वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निष्पक्ष और उचित था। [पैरा 55] [86-सी-ई] 3. अदालत को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि याचिकाकर्ता ने स्थापित किया है कि उसका स्थानांतरण आदेश एमएस का उल्लंघन था।

एक्स वी। पंजीकृत जनरल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और एक अन्य

हस्तांतरण नीति के विपरीत होने के अलावा अभ्यावेदन भी मनमाने थे। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने अपना भार वहन कर दिया है और उत्तरदाता संख्या 1 पर जिम्मेदारी स्थानांतरित कर दी गई है यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण आदेश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निष्पक्ष और उचित था। प्रत्यर्थी संख्या 1

अपने बोझ का निर्वहन करने में पूरी तरह विफल रहा है। इसके विपरीत, जे. आई. सी. के समक्ष तत्कालीन न्यायाधीश द्वारा किए गए प्रवेश

स्थानांतरण समिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि स्थानांतरण पूरी तरह से तत्कालीन डी एंड एस जे, ग्वालियर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर किया गया था, इसकी सत्यता की पुष्टि किए बिना। इतना ही नहीं, यह स्पष्ट है कि तत्कालीन न्यायाधीश ने अभ्यावेदन के साथ संलग्न अनुलग्नकों पर ध्यान नहीं दिया था, जिसमें याचिकाकर्ता की बेटी की शुल्क रसीदें आदि शामिल थीं। [पैरा 56] [86-एफ-एच; 87-ए]

3.1 याचिकाकर्ता एक न्यायिक अधिकारी थी और एक माँ भी। उसके भीतर का न्यायिक अधिकारी उसके साथ संघर्ष कर रहा होगा

माँ उसके अंदर एक ओर, न्यायिक अधिकारी के रूप में उनका करियर था; दूसरी ओर, अगर उनकी बेटी सीधी में पोस्टिंग के स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, तो उनकी बेटी की शैक्षिक संभावनाओं और करियर के खतरे में पड़ने की संभावना थी। उसके मन में इस भावना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसे न्यायपालिका की संस्था द्वारा अन्याय का सामना करना पड़ा था। वह क्या माँग रही थी? अपनी बेटी तक 8 महीने की अवधि के लिए ग्वालियर में एक प्रतिधारण वह 12 वीं कक्षा पूरी करती है। वैकल्पिक रूप से, उन 4 शहरों में से किसी में भी पोस्टिंग, जो श्रेणी 'बी' में थे, जहां उनकी बेटी के पास बेहतर शिक्षा सुविधाएं हो सकती थीं, और जहां रिक्तियां मौजूद थीं। [पैरा 79] [94-बी-सी]

3.2 उसकी वैध अपेक्षा से इनकार करने से हताशा, आक्रोश और हताशा पैदा हो सकती थी। की हताशा

याचिकाकर्ता उसके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा से स्पष्ट है त्याग पत्र। उन्होंने कहा कि चूंकि उन्हें अपनी बेटी के 12 वीं कक्षा के मध्य-शैक्षणिक सत्र में सीधी में स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए इसने उनकी बेटी के करियर के महत्वपूर्ण चरण को ज्यादातर प्रभावित किया था। उन्होंने कहा कि इसलिए उनके पास अपने पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसा प्रतीत होता है कि एक माँ और एक न्यायिक अधिकारी के बीच एक भीषण लड़ाई में, न्यायिक अधिकारी माँ से लड़ाई हार गया। [पैरा 80] [94-डी-ई] [2022] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. वर्तमान मामले में घटनाएं जिस तीव्र गति से हुई हैं, वह एक संदेह को जन्म देती है, कि कुछ और है जो आंख से मिलता है। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि कुछ उच्च न्यायालयों में, एक प्रथा का पालन किया जाता है, कि जब भी कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाला न्यायिक अधिकारी अपना इस्तीफा देता है, तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा उसे परामर्श देने और राजी करने का प्रयास किया जाता है। न्यायिक अधिकारी के प्रशिक्षण पर बहुमूल्य समय और धन खर्च किया जाता है। बिना उसकी सलाह लिए और उसे आत्मनिरीक्षण करने का अवसर दिए बिना एक अच्छे न्यायिक अधिकारी को खोना।

और फिर से सोचें, यह न्यायिक अधिकारी या न्यायपालिका के हित में नहीं होगा। इस न्यायालय ने पाया कि यह न्यायपालिका के हित में होगा कि सभी उच्च न्यायालयों द्वारा इस तरह की प्रथा का पालन किया जाए। [पैरा 85 और 86] [99-बी, जी-एच; 100-ए]

डॉ. प्रभा अत्री बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य, (2003) 1

एससीसी 701: [2002] 5 पूरक। एस. सी. आर. 27; सोमेश तिवारी बनाम भारत संघ और अन्य (2009) 2 एस. सी. सी. 592 [2008]

17 एस. सी. आर. 711-निर्भर।

और अन्य (2003) 9 एस. सी. सी. 592 [2003] 1 पूरक। एससीआर 114; महापंजीयक, पटना उच्च न्यायालय बनाम। पांडे गजेंद्र प्रसाद और अन्य (2012) 6 एससीसी 357: [2012] 5 एस. सी. आर. 994; राजेंद्र सिंह वर्मा (मृत) एल. आर. और अन्य बनाम। उपराज्यपाल (एन. सी. टी. दिल्ली)

और अन्य (2011) 10 एस. सी. सी. 1: [2011] 12 एस. सी. आर. 496; भारतीय खाद्य निगम बनाम। मेसर्स कामधेनू कैटल फीड इंडस्ट्रीज (1993) 1 एस. सी. सी. 71: [1992] 2 पूरक। एस. सी. आर. 322; कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी और अन्य बनाम। यू. पी. राज्य

और अन्य (1991) 1 एस. सी. सी. 212 [1990] 1 पूरक। एस. सी. आर. 625; कलाभारती विज्ञापन बनाम। हेमंत विमलनाथ नरीचनिया और अन्य (2010) 9 एससीसी 437: [2010] 10 एस. सी. आर. 971; भारत संघ और अन्य बनाम। धनवंती देवी और अन्य (1996) 6 एससीसी 44: [1996] 5 पूरक। एस. सी. आर. 32; क्षेत्रीय प्रबंधक और एक अन्य v.

पवन एस. एक्स. वी. पंजीकृत जनरल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और एक अन्य

कुमार दुबे (1976) 3 एससीसी 334: [1976] 3 एससीआर 540 -

संदर्भित किया गया।

वेस्टर्न एक्सकैवेटिंग (ई. सी. सी.) लिमिटेड v. शार्प 1978 आई. सी. आर.

22 ; लुईस वी। मोटरवर्ल्ड गैराज, 1985 डब्ल्यूएल 311068;

गॉस वी. एक्सॉन 747 एफ दूसरा 885; पेंसिल्वेनिया राज्य पुलिस

वी. नैन्सी ड्रू सुडर्स 542 यू. एस. 129-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

14] 13 एससीआर 300

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

03] 1 पूरक। एससीआर 114

पैरा 27

संदर्भित किया गया है

12] 5 एससीआर 994

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

11] 12 एससीआर 496

पैरा 27

संदर्भित किया गया है

92] 2 पूरक। एससीआर 322

पैरा 39

संदर्भित किया गया है

90] 1 पूरक। एससीआर 625

पैरा 54

संदर्भित किया गया है

10] 10 एससीआर 971

संदर्भित किया गया है

पैरा 57

08] 17 एससीआर 711

उस पर भरोसा करें

पैरा 60

02] 5 पूरक। एससीआर 27

उस पर भरोसा करें

पैरा 83

96] 5 पूरक। एससीआर 32

पैरा 93

संदर्भित किया गया है

76] 3 एससीआर 540

संदर्भित किया गया है

पैरा 94

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका (सिविल)

1137 2018 से।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

सुश्री इंदिरा जयसिंह, आनंद ग्रोवर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री आस्था शर्मा

मिट्ठू जैन, सुश्री मंटिका हरियानी, संजीव कौशिक, अधिवक्ता। के लिए

टियोनर।

तुषार मेहता, एस. जी., भरत सिंह, ए. ए. जी., रवींद्र श्रीवास्तव, सीनियर

7. , अर्जुन गर्ग, रजत नायर, सुश्री गरिमा तिवारी, आकाश नंदोलिया, सुश्री

उन श्रीवास्तव, सुश्री मृणाल एल्कर मजूमदार, मनीष यादव, सुश्री तिभा यादव, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. याचिकाकर्ता ने तत्काल रिट में इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर

विंग रिलीफ्सः

" प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें

ए।

आदेश को रद्द करने और दिनांकित आदेश को दरकिनार करने का आदेश

11.01.2018 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश के अनुच्छेद 14,15,16,21 आर/डब्ल्यू का उल्लंघन करते हुए बहाली के लिए आवेदन को खारिज करते हुए पूर्ण न्यायालय की बैठक के बाद पारित होने की सूचना दी। 233 , 235 & 311 में से

भारत का संविधान और प्राकृतिक न्याय;

की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें

बी।

यह घोषणा करते हुए कि याचिकाकर्ता का अतिरिक्त जिला न्यायाधीश VIII, ग्वालियर के पद से इस्तीफा दिनांक 15.07.2014 नियोक्ता के आचरण के कारण रचनात्मक बर्खास्तगी के बराबर है जो सांविधिक संदर्भ में लागू होता है जहां "बर्खास्त/बर्खास्त" शब्द का उपयोग किया जाता है;

की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें

सी।

मध्य प्रदेश के खंड 4 के अनुसार श्रेणीकरण सूची की जिला न्यायाधीशों (चयन श्रेणी) की सूची की धारा 134 पर सेवा में निरंतरता के साथ याचिकाकर्ता को उनके इस्तीफे की तारीख से अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में बहाल करने का निर्देश देना।

प्रदेश उच्च न्यायिक सेवाएँ (भर्ती और

सेवा की शर्तें) नियम, 2017, वेतन के अनुसार

मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2017 के खंड 3 (बी) और सभी सेवा लाभ और सभी परिणामी राहत;

2. न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक न्यूनतम तथ्य

एन. टी. याचिका निम्नानुसार हैं:

याचिकाकर्ता का चयन प्रतियोगी परीक्षा में किया गया था

या प्रदेश जिला प्रवेश स्तर पर उच्च न्यायिक सेवाएँ (प्रत्यक्ष

बार से नियुक्ति) वर्ष 2011 में आयोजित की गई और परीक्षा में दूसरे स्थान पर रही। उसके चयन पर, याचिकाकर्ता को दूसरे के रूप में तैनात किया गया थाआदर्श जिला और सत्र न्यायाधीश (इसके बाद एमएस के रूप में संदर्भित)।

एक्स वी। पंजीकृत जनरल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

" एडी एंड एसजे) 1 अगस्त 2011 को ग्वालियर में। 1 अक्टूबर 2012 को याचिकाकर्ता को 8 वीं एडी एंड एसजे, ग्वालियर के रूप में तैनात किया गया था। प्रथम वार्षिक में याचिकाकर्ता की गोपनीय रिपोर्ट (इसके बाद "एसीआर" के रूप में संदर्भित), जिसका मूल्यांकन जनवरी, 2013 में तत्कालीन जिला और सत्र न्यायाधीश (इसके बाद "डी एंड एसजे" के रूप में संदर्भित) द्वारा किया गया था और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन पोर्टफोलियो/प्रशासनिक न्यायाधीश (इसके बाद "जस्टिस" ए "के रूप में संदर्भित) द्वारा ग्वालियर पीठ (इसके बाद" एमपी उच्च न्यायालय "के रूप में संदर्भित) में अनुमोदित किया गया था, उसे 'सी/गुड' ग्रेडिंग दी गई थी।

याचिकाकर्ता को वर्ष 2013 में विभिन्न अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। उसके दूसरे ए. सी. आर. में, जिसका मूल्यांकन जनवरी, 2014 के महीने में तत्कालीन डी. एंड एस. जे. द्वारा किया गया था और न्यायमूर्ति 'ए' द्वारा समर्थित किया गया था, याचिकाकर्ता को 'बी' श्रेणी दी गई थी।

बहुत अच्छा '। 3. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि उसके बाद, न्यायमूर्ति 'ए' द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। यह उनका मामला है कि उक्त यौन उत्पीड़न के कारण और न्यायमूर्ति 'ए' के कहने पर, तत्कालीन डी एंड एसजे ने उनके खिलाफ 3 जुलाई 2014 को एमपी उच्च न्यायालय में एक शिकायत दर्ज कराई। यह उनका मामला है कि 7 जुलाई 2014 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थानांतरण समिति, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश शामिल थे, ने याचिकाकर्ता को ग्वालियर से सीधी स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। उक्त स्थानांतरण

8 जुलाई 2014 को याचिकाकर्ता को आदेश दिया गया था। 9 जुलाई 2014 को, याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन महापंजीयक (इसके बाद "आरजी" के रूप में संदर्भित) को अपना पहला अभ्यावेदन भेजा, जिसमें ग्वालियर में 8 महीने के विस्तार की प्रार्थना की गई ताकि उनकी बेटी (मध्य प्रदेश में पढ़ रही) ग्वालियर में 8 महीने के विस्तार के लिए प्रार्थना कर सके।

4. याचिकाकर्ता ने 15 जुलाई 2014 को अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया। विधायी कार्य विभाग 17 जुलाई 2014 को। याचिकाकर्ता को 18 जुलाई 2014 को उनके इस्तीफे की स्वीकृति के बारे में सूचित किया गया था।

5. इसके बाद याचिकाकर्ता ने 1 अगस्त 2014 को एक

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक प्रति के साथ भारत के माननीय राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन, निम्नलिखित के साथ प्रार्थनाः

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तथ्य-निष्कर्ष के बाद उचित कार्रवाई की जाए।

((i)

उन परिस्थितियों पर फिर से विचार करें जिनके तहत याचिकाकर्ता था

((ख)

मजबूर किया और दबाव डाला, जब तक कि वह एकमात्र विकल्प न हो

इस्तीफा देना था;

निवारण के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करें

(iii)

अधीनस्थ सेवाओं की उपरोक्त जैसी शिकायतें न्यायिक

अधिकारी।

6. 1 अगस्त 2014 और 18 दिसंबर 2014 के बीच, न्यायमूर्ति 'ए' के कथित आचरण की जांच के संबंध में कुछ घटनाएं हुईं, जो अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश 'एक्स' के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में समाप्त हुईं। वी. पंजीयक

जनरल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और अन्य '। ने कहा कि उक्त निर्णय में घटनाओं को विधिवत दर्ज किया गया है और इसलिए, उन्हें विस्तार से संदर्भित करना आवश्यक नहीं है।

7. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में, प्रमुख

भारत के न्यायाधीश ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मांगी और उसे प्राप्त करने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आंतरिक समिति का गठन किया। उक्त सदन समिति ने 2 जुलाई 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस बीच, राज्यसभा में 58 संसद सदस्यों द्वारा न्यायमूर्ति 'ए' को हटाने के लिए प्रस्ताव की सूचना पेश की गई। उक्त प्रस्ताव को 25 मार्च 2015 को भारत के तत्कालीन माननीय उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति द्वारा स्वीकार किया गया था। तदनुसार, एक न्यायाधीश जाँच समिति (जिसे इसके बाद "जे. आई. सी". के रूप में संदर्भित किया गया है) का गठन न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 (जिसे इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 3 के तहत किया गया था, जिसमें इस न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और इस न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल थे। इसके बाद, इस न्यायालय के न्यायाधीश, जो जे. आई. सी. के पीठासीन अधिकारी थे, के स्थान पर इस न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश को पीठासीन अधिकारी के रूप में जे. आई.

सी. का हिस्सा बनाया गया। जे. आई. सी. ने 15 दिसंबर 2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे राज्यसभा के समक्ष पेश किया गया और राज्यसभा ने न्यायमूर्ति 'ए' को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

8. हालांकि, जे. आई. सी. ने पाया कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण अनियमित था और यह आगे पाया गया कि मौजूदा परिस्थितियों में

तब, याचिकाकर्ता का सीधी में स्थानांतरण असहनीय हो गया था उन्हें सेवा में बने रहने के लिए कहा गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसलिए जे. आई. सी. ने,

(2015) 4 एससीसी 91 एमएस।

एक्स वी। पंजीकृत जनरल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

अपनी राय व्यक्त की कि न्याय के हित में, याचिकाकर्ता को यदि वह सेवा में फिर से शामिल होने का इरादा रखती है तो उसे सेवा में फिर से नियुक्त किया जाएगा। जे. आई. सी. ने स्पष्ट किया कि यह संदर्भ के दायरे में नहीं था।

उनके लिए।

9. जे. आई. सी. की सिफारिश के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 21 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को अपनी सेवा में पुनः नियुक्ति के लिए एक अभ्यावेदन को संबोधित किया। 25 जनवरी 2018 को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने आर. जी. के माध्यम से 11 जनवरी 2018 को आयोजित अपनी बैठक में पूर्ण न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उन राहतों के लिए वर्तमान याचिका दायर की जिन्हें पहले ही ऊपर पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है।

10. इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय ने 13 फरवरी 2019 को एक आदेश पारित किया, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया कि

याचिकाकर्ता को सेवा में फिर से नियुक्त करने के मुद्दे पर पुनर्विचार। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने 15 फरवरी 2019 को आयोजित अपनी बैठक में उक्त अभ्यावेदन को खारिज कर दिया। इस न्यायालय की पीठ, जिसने 13 फरवरी 2019 का आदेश पारित किया था, ने 21 फरवरी 2019 के आदेश के माध्यम से व्यक्त किया कि उक्त पीठ को इस मामले पर विचार नहीं करना चाहिए।

गुण-दोष पर मामला और मामले को दूसरी पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद इस न्यायालय द्वारा पक्षों को मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए फिर से सुझाव दिए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय पर, इस न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को याचिकाकर्ता की सेवा में पुनर्नियुक्ति के मुद्दे पर फिर से विचार करना चाहिए और पुनर्नियुक्ति के बाद, उसे राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है या उसे किसी अन्य राज्य में समायोजित किया जा सकता है। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि हालांकि उक्त सुझाव उन्हें स्वीकार्य था, लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने रुख को दोहराया। इस पृष्ठभूमि में यह मामला हमारे सामने आया है।

11. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता के वकील ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले पर दबाव नहीं डाल रहा है

न्यायमूर्ति 'ए' द्वारा यौन उत्पीड़न का आधार, लेकिन स्थानांतरण आदेश के अवैध और दुर्भावनापूर्ण होने के संबंध में उनकी दलीलों को सीमित कर रहा है, और इसके परिणामस्वरूप इस्तीफा रचनात्मक बर्खास्तगी के बराबर है। हमारे पास है।

इसलिए याचिका में लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों का कोई भी संदर्भ देने से खुद को दूर रखा। हमने भी परहेज किया है।

न्यायमूर्ति 'ए' या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश, जिनकी प्रशासनिक पक्ष में इस मामले में कुछ भूमिका थी, के नाम का उल्लेख करने से लेकर जिला न्यायपालिका के सदस्य भी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान मामले में शामिल थे।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. हमने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री इंदिरा जयसिंह और श्री तुषार मेहता को सुना है।

प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित भारत के सॉलिसिटर जनरल।

13. श्रीमती. इंदिरा जयसिंह ने प्रस्तुत किया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 12 जनवरी 2012 को शामिल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थानांतरण दिशानिर्देशों/नीति (जिसे इसके बाद "स्थानांतरण नीति" के रूप में संदर्भित किया गया है) से बाध्य था। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण नीति के अनुसार, वार्षिक स्थानांतरण आम तौर पर हर साल 15 मार्च तक होते हैं और स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों को 1 अप्रैल तक शामिल होने का समय दिया जाता है ताकि स्कूलों में शैक्षणिक सत्र के साथ मेल खा सके। यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्थानांतरण नीति के अनुसार, किसी विशेष पद पर न्यायिक अधिकारी का सामान्य कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, और 6 महीने या उससे अधिक की अवधि को पूरे वर्ष के रूप में माना जाता है। तदनुसार, याचिकाकर्ता को मार्च 2014 में स्थानांतरित किया जा सकता था क्योंकि वह पहले ही 2 साल और 6 महीने से अधिक पूरा कर चुकी थी। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को 7 जुलाई 2014 को मध्यावधि में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हस्तांतरण नीति के खंड 22 के तहत प्रदान किए गए मध्यावधि हस्तांतरण को उसमें उल्लिखित सीमित आधारों पर किया जा सकता है। श्रीमती. जयसिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता के मामले में स्थानांतरण नीति के खंड 22 में उल्लिखित कोई भी आधार उपलब्ध नहीं है।

14. श्रीमती. जयसिंह ने आगे कहा कि स्थानांतरण नीति के अनुसार यदि किसी न्यायिक अधिकारी की बेटी उसके स्थान पर पढ़ रही है।

वर्तमान नियुक्ति और बोर्ड परीक्षा या विश्वविद्यालय परीक्षा के अंतिम वर्ष में है और जिस शैक्षणिक संस्थान में बेटी पढ़ रही है, वहां लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है, उक्त न्यायिक अधिकारी को निर्धारित अवधि में रहने की अनुमति है। वह आगे

प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण स्थानांतरण नीति के खंड 16 का भी उल्लंघन था क्योंकि एक न्यायिक अधिकारी को पहले श्रेणी 'ए' शहर से 'बी' शहर, 'बी' से 'सी', 'सी' से 'डी' और 'डी' से 'ए' जाना आवश्यक है। हालाँकि, याचिकाकर्ता को सीधे श्रेणी 'ए' शहर से 'सी' शहर में स्थानांतरित कर दिया गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि जे. आई. सी. ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के स्थानांतरण को स्थानांतरण नीति के विपरीत पाया था।

15. श्रीमती. जयसिंह ने आगे कहा कि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर नहीं किया गया था।

लेकिन तत्कालीन डी एंड एस जे, ग्वालियर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जे. आई. सी. ने यह भी पाया था कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण तत्कालीन डी. एंड एस. जे., एम. एस. द्वारा की गई शिकायत के आधार पर किया गया था।

एक्स वी। पंजीकृत जनरल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

ग्वालियर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जे. आई. सी. ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश, जो स्थानांतरण समिति के सदस्य थे, के साक्ष्य से आगे पाया कि स्थानांतरण पूरी तरह से तत्कालीन डी. एंड एस. जे., ग्वालियर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर किया गया था।

16. श्रीमती. जयसिंह ने आगे कहा कि जे. आई. सी. द्वारा दर्ज स्थानांतरण समिति पर तत्कालीन न्यायाधीश के साक्ष्य से यह स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर भी स्थानांतरण समिति द्वारा सही मायने में विचार नहीं किया गया था।

17. श्रीमती. जयसिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता का इस्तीफा उन परिस्थितियों का परिणाम था, जिनमें उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था।

उनका इस्तीफा देना और इस तरह, कानूनी रूप से इस्तीफा नहीं था, बल्कि जबरन इस्तीफा था, जो रचनात्मक निर्वहन के बराबर था। वह इस प्रस्ताव के समर्थन में यूनाइटेड किंगडम के अपील न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भर करती हैः

वेस्टर्न एक्सकैवेटिंग (ई. सी. सी.) लिमिटेड v. तेज 2; लुईस वी। मोटरवर्ल्ड गैराज 3

उन्होंने प्रतिकूल कार्य वातावरण के मुद्दे पर जोर देने के लिए यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स, थर्ड सर्किट के निम्नलिखित फैसलों पर भरोसा किया।

और संस्थागत विफलताः

गॉस वी. एक्सॉन 1:

पेनसिल्वेनिया राज्य पुलिस बनाम। नैन्सी ड्रू सुडर्स

18. श्रीमती. जयसिंह ने प्रस्तुत किया कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू.) का अनुच्छेद 11

जिसके लिए भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, यह प्रावधान करता है कि एक महिला को एक ही समय में काम करने और पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम होना चाहिए। उसने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण ऐसी जगह पर था, जहाँ वह एक न्यायिक अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो सकती थी। इस प्रकार, उक्त स्थानांतरण आदेश सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू. के अनुच्छेद 11 का उल्लंघन था।

19. श्रीमती. जयसिंह ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पूर्ण न्यायालय याचिकाकर्ता को न्याय देने में विफल रहा है क्योंकि वह शिकायत पर विचार नहीं किया गया। उसने प्रस्तुत किया कि इसके तुरंत बाद

2 1978 आई. सी. आर. 22

3 1985 डब्ल्यूएल 311068

4747 एफ 2nd 885

याचिकाकर्ता ने अपना इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने एक पखवाड़े के भीतर यानी 1 अगस्त 2014 को भारत के राष्ट्रपति के साथ-साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक अभ्यावेदन दिया था, जिसमें पूरे मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक प्रति दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सुझाव दिया गया है, याचिकाकर्ता मजदूरी वापस करने के अपने दावों को छोड़ रही है और केवल न्यायपालिका की प्रतिष्ठित संस्था की सेवा करने में रुचि रखती है। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि याचिका की अनुमति दी जाए और याचिकाकर्ता को निरंतरता के साथ सेवा में फिर से स्थापित किया जाए।

20. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने कहा कि आरोप

याचिकाकर्ता द्वारा यौन उत्पीड़न के संबंध में किए गए आरोप जे. आई. सी. द्वारा स्थापित नहीं पाए गए हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त निष्कर्ष 15 दिसंबर 2017 को दर्ज किए गए थे, जिन्हें चुनौती नहीं दी गई थी। और किसी भी मामले में, वर्तमान की तरह सहायक कार्यवाहियों में पूछताछ या हमला नहीं किया जा सकता है।

21. श्री मेहता ने आगे कहा कि हालांकि, याचिकाकर्ता के स्थानांतरण के संबंध में जे. आई. सी. के निष्कर्ष अनियमित हैं, लेकिन इससे परे हैं

इसके "संदर्भ की शर्तों" के दायरे में, हस्तांतरण को अनियमित माना जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण आदेश अनियमित और यहां तक कि दुर्भावनापूर्ण था, इसे प्रासंगिक समय पर चुनौती नहीं दी गई है, इसकी वैधता को वर्तमान कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि "त्याग के परिणामस्वरूप जबरदस्ती" की अवधारणा एक अवधारणा है, जो पश्चिमी देशों में श्रम न्यायशास्त्र के संबंध में विकसित की गई है, और किसी भी मामले में, ऐसी राहत केवल तभी दी जा सकती है जब इस तरह के तथ्य को प्रमुख साक्ष्य द्वारा विधिवत स्थापित किया जाता है।

22. विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि जबरदस्ती के संबंध में याचिकाकर्ता का एकमात्र तर्क यह है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा

मध्यावधि अंतरण आदेश का लेखा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि स्थानांतरण सेवा की एक घटना है। उन्होंने कहा कि मध्यावधि स्थानांतरण को "जबरदस्ती" नहीं कहा जा सकता है ताकि किसी व्यक्ति को सेवा से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती का मामला स्थापित करने के लिए, एक व्यक्ति के लिए यह स्थापित करना आवश्यक होगा कि न केवल असहनीय दबाव बनाया गया था, बल्कि इस तरह के दबाव का उद्देश्य न केवल एक कर्मचारी को परेशान करना या एक कर्मचारी को पीड़ित करना था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि कर्मचारी नौकरी छोड़ दे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि न तो ऐसी परिस्थितियों का अनुरोध किया जाता है और न ही याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया जाता है। किसी भी मामले में, उन्होंने वह एमएस प्रस्तुत किया।

एक्स वी। पंजीकृत जनरल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

23. श्री मेहता ने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में, ऐसी याचिका एक न्यायिक अधिकारी के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जो न्याय देने के संप्रभु कार्य का निर्वहन कर रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षित हैं स्वतंत्र, निडर, आवेगहीन होने और कानून के अनुसार कार्य करने के लिए और इस तरह, एक कर्मचारी पर लागू होने वाली अवधारणा एक न्यायिक अधिकारी पर लागू नहीं की जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा यौन उत्पीड़न के संबंध में लगाए गए आरोप उनके सेवा से इस्तीफा देने के बाद ही लगाए गए थे।

24. श्री मेहता ने कहा कि वर्तमान कार्यवाही में किसी भी निर्णय का भविष्य में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने प्रस्तुत किया

कि यदि इस न्यायालय द्वारा असुविधाजनक पारिवारिक परिस्थितियों के साथ केवल मध्यावधि स्थानांतरण की परिस्थिति को सेवा से इस्तीफा देने के लिए "जबरदस्ती" माना जाता है, तो यह मुकदमों के दरवाजे खोल देगा।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि इस न्यायालय द्वारा ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो सभी समान रूप से स्थित न्यायिक अधिकारी इस तरह की याचिका के साथ आएंगे, क्योंकि प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को कुछ न कुछ असुविधाजनक पारिवारिक समस्याएं होती हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह का दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो इसका जिला न्यायपालिका के प्रशासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

25. श्री मेहता ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने एक से अधिक अवसरों पर इस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए सर्वसम्मत निर्णय लिया है।

सेवा में पुनः नियुक्ति के संबंध में याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन। वह. प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की पुनः स्थापना के संबंध में जे. आई. सी. द्वारा की गई टिप्पणियां उसके "संदर्भ की शर्तों" के दायरे से बाहर थीं और इस तरह, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को सही ढंग से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा लिए गए सर्वसम्मत निर्णय में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, यह न केवल संस्थान का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों बल्कि पूरे संस्थान को कलंकित करेगा। 26. श्री मेहता ने कहा कि जो प्रस्तुतियाँ वे दे रहे हैं, वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर नहीं हैं, बल्कि उनके द्वारा की जा रही हैं।

न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा जो आग्रह किया जाना चाहिए वह यह है कि पूरे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक संस्थान के रूप में मिलकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करना सुनिश्चित किया कि उनके पास अपना इस्तीफा देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसके विनाशकारी प्रभाव होंगे।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. श्री मेहता ने प्रस्तुत किया कि इसके द्वारा न्यायिक समीक्षा का दायरा

उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय का निर्णय बहुत सीमित होता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के फैसले पर अपील में नहीं बैठ सकता है। हस्तक्षेप की अनुमति केवल दुर्लभतम मामलों में ही दी जाएगी। वह इस प्रस्ताव के समर्थन में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करता हैः

सैयद टी. ए. नक्शबंदी और अन्य बनाम। जम्मू राज्य और

कश्मीर और अन्य ";

महापंजीयक, पटना उच्च न्यायालय बनाम। पांडे गजेंद्र

प्रसाद और अन्य ";

राजेंद्र सिंह वर्मा (मृत) एल. आर. और अन्य के माध्यम से बनाम।

उपराज्यपाल (एन. सी. टी. दिल्ली) और अन्य

28. इसलिए वह याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करता है।

29. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने से पहले, हम स्पष्ट करते हैं कि हम निर्णयों की शुद्धता या अन्यथा की जांच नहीं कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पूर्ण न्यायालय दिनांक 11 जनवरी 2018 और 15 फरवरी 2019। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के निर्णय की न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद संकीर्ण है और हम उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के निर्णय पर अपील में नहीं बैठ सकते हैं। विभिन्न कारक और कारण हो सकते हैं जो

याचिकाकर्ता द्वारा अपने दिनांकित प्रस्तावों में किए गए अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के साथ वजन किया जा सकता था

11 जनवरी 2018 और 15 फरवरी 2019। हम इस तरह के निर्णय पर पहुंचने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के अधिकार का पूरा सम्मान करते हैं।

30. इसलिए हम स्पष्ट करते हैं कि हम जांच के दायरे को सीमित कर रहे हैं।

वर्तमान मामले में केवल निम्नलिखित मुद्दों की जांच करने के लिए, तथ्यात्मक परिदृश्य के आधार पर जो वर्तमान मामले में रिकॉर्ड पर आया हैः

इस बारे में कि क्या याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने का आदेश

((i)

8 जुलाई 2014 को ग्वालियर से सीधी तक वैध है।

((ख)

इस बारे में कि क्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 11 तारीख के आदेश

जुलाई 2014 और 14 जुलाई 2014, याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए

6 (2003) 9 एससीसी 592 7 (2012) 6 एससीसी 357 8 (2011) 10 एससीसी 1 एमएस।

एक्स वी। पंजीकृत जनरल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

दिनांक 9 जुलाई 2014 और 11 जुलाई 2014 के अभ्यावेदन

क्रमशः, कानूनी थे; और

(111) 15 जुलाई 2014 के याचिकाकर्ता के इस्तीफे को स्वैच्छिक माना जा सकता है या परिस्थितियों के कारण मजबूर किया गया है।

31. यद्यपि, वर्तमान याचिका में सीधे तौर पर शामिल मुद्दा केवल मुद्दा संख्या (iii) है, हम पाते हैं कि मुद्दा संख्या पर विचार करना आवश्यक होगा। ((i) और (ii) चूंकि उक्त मुद्दों पर हमारे निष्कर्षों का मुद्दा संख्या (iii) पर निष्कर्ष पर सीधा असर पड़ेगा।

32. हम आगे स्पष्ट करते हैं कि हम वर्तमान मामले की जांच कर रहे हैं और इसे विशुद्ध रूप से एक कर्मचारी और एक नियोक्ता के बीच के संबंध के रूप में मान रहे हैं।

किसी भी तरह से इस तथ्य से प्रभावित हुए बिना कि एल. आई. एस. के पक्षों में से एक प्रशासनिक पक्ष में एम. पी. उच्च न्यायालय है, और दूसरा एक न्यायिक अधिकारी है। हमारा विचार है कि एक नियोक्ता जो एक राज्य है और एक कर्मचारी के बीच विवाद को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों को वर्तमान मामले में समान रूप से लागू करना होगा।

इस तथ्य के बावजूद कि एक पक्ष उच्च न्यायालय है और दूसरा न्यायिक अधिकारी है।

33. हालाँकि, रचनात्मक निर्वहन के संबंध में हमारे सामने तर्क दिए गए हैं और निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है

यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालतों में, हमें उस मुद्दे में जाना आवश्यक नहीं लगता है। हमारा विचार है कि राज्य की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के दायरे के संबंध में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून में इस मुद्दे को पूरी तरह से शामिल किया जाएगा।

34. इस नोट के साथ, हम वर्तमान में तथ्यों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

बात है।

35. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जे. आई. सी. ने 15 दिसंबर 2017 की अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थानांतरण नीति का उल्लंघन था और इसलिए यह अनियमित था। जे. आई. सी. ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया था। जे. आई. सी. ने आगे यह निष्कर्ष निकाला कि न्यायमूर्ति 'ए' ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण में हस्तक्षेप किया था और उसके अभ्यावेदन को अस्वीकार करने में भी उनकी भूमिका थी। जे. आई. सी. ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता के स्थानांतरण का आधार 3 जुलाई 2014 की शिकायत थी, जो तत्कालीन डी. एंड एस. जे., ग्वालियर द्वारा की गई थी। जे. आई. सी. ने आगे पाया कि हालांकि, यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख था कि स्थानांतरण [2022] 15 एस. सी. आर.

याचिकाकर्ता का स्थानांतरण नीति के खंड 22 के प्रावधानों को देखते हुए प्रशासनिक आधार पर था, जो स्थापित नहीं किया गया था। जे. आई. सी. ने आगे यह निष्कर्ष निकाला है कि परिस्थितियाँ बदल गईं

याचिकाकर्ता के लिए असहनीय, जिसके परिणामस्वरूप उसने सेवा से इस्तीफा दे दिया।

36. हालांकि, इसकी ओर से जोरदार आग्रह करने की मांग की जाती है

श्रीमती द्वारा। यह कहते हुए कि उपरोक्त टिप्पणियां जे. आई. सी. को दिए गए "संदर्भ की शर्तों" के दायरे में हैं। उस विवाद में गए बिना, हम जे. आई. सी. के निष्कर्षों से स्वतंत्र, इस मुद्दे की फिर से जांच करना उचित समझते हैं। 37. यह विवाद में नहीं है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 12 जनवरी 2012 को स्थानांतरण नीति को शामिल किया गया है। उक्त की प्रस्तावना

स्थानांतरण नीति में कहा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य में न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा।

उक्त दिशानिर्देशों और नीति के अनुसार, और यह कि यह कानून में लागू करने योग्य नहीं है। हालांकि, इसमें कहा गया है कि उक्त नीति में कुछ भी निहित होने के बावजूद, स्थानांतरण और नियुक्ति के लिए राज्य में न्यायिक प्रणाली और प्रतिष्ठान का हित सर्वोपरि है। उक्त हस्तांतरण नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

हस्तांतरण नीति के खंड 3 के अनुसार,

((i)

नियुक्ति के लिए उपलब्ध स्थानों को 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' के रूप में उल्लिखित 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनका उल्लेख अनुलग्नक-ए में किया गया है।

((ख)

हस्तांतरण नीति के खंड 4 के अनुसार,

न्यायिक अधिकारियों का वार्षिक स्थानांतरण प्रभावी होगा। आम तौर पर हर साल 15 मार्च तक और न्यायिक अधिकारियों को संबंधित वर्ष के अप्रैल के पहले दिन तक शामिल होने के लिए समय दिया जाएगा ताकि शैक्षणिक वर्ष के साथ मेल खा सके।

सत्र;

(iii) हस्तांतरण नीति के खंड 5 के अनुसार,

किसी स्थान पर नियुक्ति का सामान्य अनुमानित कार्यकाल होगा -

तीन साल;

((iv) हस्तांतरण नीति के खंड 7 के अनुसार,

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय में तैनात एक अधिकारी की नियुक्ति के कार्यकाल की गणना [बी. आर. गवई, जे.]

विशेष स्थान पर, 6 महीने या उससे अधिक की अवधि होगी

पूरा किया और पूरे वर्ष के रूप में माना जाता है;

स्थानांतरण नीति का खंड 9 अपवादों को स्पष्ट करता है।

ऐसे मामलों में जहां कार्यकाल का विस्तार दिया जा सकता है। खंड 9 के उपखंड (ए) में एक आधार निर्दिष्ट किया गया है कि ऐसा विस्तार तब उपलब्ध होगा जब न्यायिक अधिकारी की बेटी (बेटा नहीं) अपनी वर्तमान पोस्टिंग के स्थान पर पढ़ रही है, और बोर्ड परीक्षा या विश्वविद्यालय परीक्षा के अंतिम वर्ष में है, और जिस शैक्षणिक संस्थान में ऐसी बेटी पढ़ रही है, वहां लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है। यह आगे प्रदान करता है कि उक्त मानदंड उन अधिकारियों के लिए हैं जो श्रेणी 'ए' स्थानों में रहना चाहते हैं। यह आगे स्पष्ट करता है कि जहाँ तक श्रेणी 'बी', 'सी' या 'डी' के स्थान हैं

संबंधित, वार्ड चाहे बेटा हो या बेटी, उक्त सुविधा उपलब्ध होगी और आगे यह प्रावधान है कि छात्रावास सुविधा की उपलब्धता आवश्यक नहीं होगी। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि उक्त आधार पर अनुरोध पर तभी विचार किया जा सकता है जब बेटी की शिक्षा और संस्थान में छात्रावास सुविधा की अनुपलब्धता के संबंध में तथ्यों को उचित सत्यापन के बाद संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित किया जाता है, और आगे यह कि जिला न्यायाधीश के साथ-साथ पोर्टफोलियो न्यायाधीश को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

अधिकारी का रहना। खंड 9 का उपखंड (बी) उन मामलों से संबंधित है जहां न्यायिक अधिकारी, उसके पति या पत्नी या बच्चों या वृद्ध माता-पिता की बीमारी के आधार पर अतिरिक्त रोक की मांग की जाती है। खंड 9 का उपखंड (ग) एक अवशिष्ट खंड है, जो पर्याप्त कारणों से ऐसे अपवादों को सक्षम बनाता है, जो जिला न्यायाधीश, पोर्टफोलियो न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की राय में उचित हैं।

स्थानांतरण नीति के खंड 9 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई न्यायिक अधिकारी इस तरह का अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है तो उपखंड (ए), (बी) या (सी), अपने जिला न्यायाधीश को महापंजीयक को भेजे जाने के लिए, यह अनिवार्य होगा -

जिला न्यायाधीश आवश्यक सत्यापन के बाद उसकी प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर अपनी टिप्पणियों के साथ अभ्यावेदन भेजेगा। इसके बाद रजिस्ट्री स्थापित करना आवश्यक है। प्रतिनिधित्व की प्राप्ति की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के भीतर संबंधित पोर्टफोलियो न्यायाधीश के समक्ष मामला, [2022] 15 एस. सी. आर.

और पोर्टफोलियो न्यायाधीश को उसके बाद एक सप्ताह के भीतर अपनी टिप्पणियों/राय के साथ फाइल वापस करनी होती है।

स्थानांतरण नीति के खंड 10 में प्रावधान है कि ऐसे सभी न्यायिक अधिकारी जो अपने विस्तार की मांग कर रहे हैं, वे एक साथ अनुमेय श्रेणी या निचली श्रेणी के स्थान के संबंध में न्यूनतम तीन और अधिकतम पांच विकल्प भी आगे बढ़ाएंगे, जहां वे प्रतिनिधित्व की अनुमति नहीं होने की स्थिति में तैनात होना चाहते हैं। स्थानांतरण नीति के खंड 13 में प्रावधान है कि कार्यकाल अवधि के बाद नियुक्ति का विस्तार केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाएगा। उक्त खंड 13 में आगे प्रावधान किया गया है कि विस्तार के संबंध में निर्णय मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या उनकी ओर से, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित दो न्यायाधीशों की समिति द्वारा, अभ्यावेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के तीन सप्ताह के भीतर लिया जाएगा।

स्थानांतरण नीति के खंड 14 में यह प्रावधान है कि न्यायिक अधिकारी, जो प्रतिनियुक्ति पर हैं या पूर्व संवर्ग के पद पर हैं, उन्हें मूल विभाग में वापस आना होगा।

ऐसी नियुक्ति पर अधिकतम तीन वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद। इसमें आगे प्रावधान किया गया है कि तीन साल की अवधि के बाद प्रतिनियुक्ति पर कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में एक वर्ष का विस्तार देने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति सुरक्षित है।

हस्तांतरण नीति के खंड 16 के अनुसार, स्थानांतरण सामान्य रूप से श्रेणी 'ए' से 'बी' तक होता है,

'बी' से 'सी', 'सी' से 'डी' और 'डी' से 'ए' या निचली श्रेणी के स्थान; स्थानांतरण नीति के खंड 17 के अनुसार, महापंजीयक प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक उन अधिकारियों की एक सूची तैयार करेगा, जो अपना कार्यकाल/नियुक्ति पूरी करेंगे। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि जिन न्यायिक अधिकारियों के स्थगन के अनुरोध की अनुमति दी गई है, उन्हें उस सूची से बाहर रखा जाएगा और जिन अधिकारियों के पूर्व-परिपक्व स्थानांतरण के अनुरोध की अनुमति दी गई है, उन्हें उस सूची में जोड़ा जाएगा। उक्त खंड में एक चार्ट तैयार करने की भी आवश्यकता है

उक्त सामान्य, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] के तहत आवश्यक विवरणों का उल्लेख करना।

खंड. ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य पूरे राज्य में अधिकारियों के लिए न्यायिक कार्यों का समान वितरण सुनिश्चित करना है। हस्तांतरण नीति के खंड 18 में प्रावधान है कि एक प्रयास

पति और पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात किया जाना चाहिए, यदि दोनों मध्य प्रदेश राज्य में न्यायिक अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि यदि यह संभव नहीं है, तो उन्हें आस-पास के स्थानों पर तैनात करने का प्रयास किया जाना चाहिए। स्थानांतरण नीति के खंड 19 में प्रावधान है कि जब भी किसी न्यायिक अधिकारी का कोई करीबी रिश्तेदार गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है, तो उसे उस स्थान पर तैनात करके वरीयता दी जाएगी जहां या उसके पास इन लोगों के लिए उचित उपचार सुविधाएं हों।

बीमारियाँ उपलब्ध हैं;

स्थानांतरण नीति के खंड 20 में प्रावधान है कि न्यायिक अधिकारी, जो किसी भी शारीरिक अक्षमता से पीड़ित हैं, जो उपयुक्त चिकित्सा बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक प्रमाणित हैं, उन्हें ऐसे स्थान पर उनकी पोस्टिंग के मामले में वरीयता दी जाएगी जहां उन्हें बार-बार यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है।

स्थानांतरण नीति के खंड 21 के लिए आवश्यक है कि न्यायिक

स्थानांतरण नीति के खंड 22 में प्रावधान है कि न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण कार्य पूरा होने से पहले ही किया जा सकता है। निर्धारित कार्यकाल या मध्यावधि में यदि उसका प्रदर्शन निर्धारित मानदंडों से कम पाया जाता है या यदि उसके खिलाफ जांच शुरू करने के लिए आधार मौजूद हैं। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है तो लोक हित में या प्रशासन के हित में निर्धारित कार्यकाल पूरा करने से पहले उनका स्थानांतरण किया जा सकता है।

न्यायिक अधिकारी, जिसके पास अप्रैल के पहले दिन सेवानिवृत्त होने के लिए एक वर्ष या उससे कम समय है, वह अपनी पसंद के स्थान पर नियुक्ति का हकदार है, जहां या जिसके पास वह अपने कार्यकाल के बाद बसने का प्रस्ताव रखता है।

(xvii) स्थानांतरण नीति का खंड 24, जिसे अवशिष्ट खंड के रूप में समझा जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश के पास सामान्य या विशेष निर्देश जारी करने की शक्ति सुरक्षित है जो इस प्रकार नहीं हैं -

विशेष रूप से नीति द्वारा कवर किया गया। यह आगे प्रावधान करता है कि नीति या इसके संबंध में किसी भी संदेह के मामले में

कार्यान्वयन, मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी स्पष्टीकरण

नीति के हिस्से के रूप में माना जाएगा;

(xviii) हस्तांतरण नीति का खंड 25 प्रदान करता है कि नहीं

उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित स्थानान्तरण के विरुद्ध अभ्यावेदन पर आम तौर पर विचार किया जाएगा सिवाय गंभीर आधार के,

जो आदेश जारी होने की तारीख को मौजूद नहीं था

स्थानांतरण;

(xix) स्थानांतरण नीति का खंड 26, जो एक गैर-अबाधित खंड है, यह प्रावधान करता है कि इसमें कुछ भी निहित होने के बावजूद, मुख्य न्यायाधीश या उनकी ओर से, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति को स्थानांतरण के संबंध में कोई भी आदेश पारित करने की प्रबल शक्तियां होंगी।

या किसी भी समय किसी न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति;

(x) स्थानांतरण नीति का खंड 28 मुख्य न्यायाधीश को किसी अन्य न्यायाधीश/अधिकारी या न्यायाधीशों की समिति/अधिकारियों को अपनी शक्तियां सौंपने में सक्षम बनाता है।

नीति/दिशानिर्देश।

38. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अंतरण नीति द्वारा निगमित

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, किसी विशेष पद पर उनका कार्यकाल, न्यायिक अधिकारियों को निर्धारित अवधि से आगे रहने की अनुमति देने के लिए मामले पर विचार करने की परिस्थितियों और प्रतिनिधित्व पर विचार करने के तरीके आदि के बारे में विस्तार से बताया है।

39. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त स्थानांतरण नीति केवल सांसद द्वारा जारी जिला न्यायपालिका के आंतरिक प्रशासन के लिए दिशानिर्देशों का एक समूह है

उच्च न्यायालय। हालांकि, प्रशासनिक पक्ष पर अपने कार्यों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक राज्य होगा। हम खाद्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का लाभप्रद रूप से उल्लेख कर सकते हैं।

भारतीय निगम बनाम। मेसर्स कामधेनू कैटल फीड इंडस्ट्रीज ":

9 (1993) 1 एस. सी. सी. 71 एक्स.

पंजीकृत जनरल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

" 8. ऐसी स्थिति में एक नागरिक की केवल उचित या वैध अपेक्षा अपने आप में एक अलग प्रवर्तनीय अधिकार नहीं हो सकता है, लेकिन इस पर विचार करने और इसे उचित महत्व देने में विफलता निर्णय को मनमाना बना सकती है, और इस तरह से देय की आवश्यकता है।

वैध अपेक्षा पर विचार गैर-मनमानेपन के सिद्धांत का हिस्सा है, जो कानून के शासन का एक आवश्यक सहवर्ती है। प्रत्येक वैध अपेक्षा एक प्रासंगिक कारक है जिसके लिए देय राशि की आवश्यकता होती है।

एक निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया में विचार करना। चाहे वह

दावेदार की अपेक्षा संदर्भ में उचित या वैध है, प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है। जब भी कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इसका निर्धारण दावेदार की धारणा के अनुसार नहीं बल्कि व्यापक सार्वजनिक हित में किया जाना चाहिए, जिसमें अन्य अधिक महत्वपूर्ण हैं। विचार दावेदार की वैध अपेक्षा से अधिक हो सकते हैं। एक प्रामाणिक निर्णय

इस तरह से पहुँचा गया सार्वजनिक प्राधिकरण संतुष्ट करेगा गैर-मनमानेपन की आवश्यकता और न्यायिक जांच का सामना करना। वैध अपेक्षा का सिद्धांत कानून के शासन में आत्मसात हो जाता है और हमारी कानूनी प्रणाली में इस तरह से और इस तरह से काम करता है

हद तक।

ऐसा हो कि यह दुरुपयोग हो या सत्ता की अधिकता हो "। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ये निर्णय इसके महत्व के समान संकेत देते हैं। वैध अपेक्षा का सिद्धांत। श्री ए. के. सेन ने शांति विजय एंड कंपनी का उल्लेख किया। राजकुमारी फातिमा फौजिया [(1979) 4 एस. सी. सी. 602: (1980) 1 एस. सी. आर. 459] जिसका मानना है कि अदालत को [2022] 15 एस. सी. आर. करना चाहिए।

हस्तक्षेप जहां विवेकाधीन शक्ति का उचित रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है

और अच्छे विश्वास के साथ "।

40. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी नागरिक की केवल उचित या वैध अपेक्षा अपने आप में एक विशिष्ट प्रवर्तनीय अधिकार नहीं हो सकती है। यह भी माना जाता है कि इस पर विचार करने और इसे उचित महत्व देने में विफलता निर्णय को मनमाना बना सकती है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक वैध अपेक्षा पर उचित विचार की आवश्यकता गैर-मनमानेपन के सिद्धांत का हिस्सा है, जो एक आवश्यक प्रावधान है।

कानून के शासन के सहवर्ती। प्रत्येक वैध अपेक्षा एक प्रासंगिक कारक है जिसके लिए एक निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया में उचित विचार की आवश्यकता होती है।

दावेदार की अपेक्षा संदर्भ में उचित या वैध है या नहीं, यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है। जब भी प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इसका निर्धारण दावेदार की धारणा के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि व्यापक सार्वजनिक हित में किया जाना चाहिए, जिसमें अन्य अधिक महत्वपूर्ण विचार अधिक भारी हो सकते हैं, अन्यथा दावेदार की वैध अपेक्षा क्या होती। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस तरह से सार्वजनिक प्राधिकरण का एक प्रामाणिक निर्णय गैर-मनमानेपन की आवश्यकता को पूरा करेगा और न्यायिक जांच का सामना करेगा। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायिक समीक्षा के कानून में निष्पक्षता के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण स्थान है और शक्ति के कथित प्रयोग में अन्याय ऐसा हो सकता है कि यह दुरुपयोग या शक्ति की अधिकता हो। अदालत को कहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए

विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग उचित रूप से और सद्भावना से नहीं किया जाता है।

41. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हालांकि हस्तांतरण नीति नहीं हो सकती है

42. इस पृष्ठभूमि में हम निर्विवाद तथ्यों की जांच करेंगे। निर्विवाद रूप से, मार्च 2014 के महीने में होने वाले सामान्य स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन आर. जी. द्वारा तैयार किए गए चार्ट में याचिकाकर्ता का नाम नहीं था। 43. यह और स्पष्ट है कि जुलाई 2014 के महीने में मध्यावधि स्थानान्तरण पर विचार के लिए तैयार किए गए एजेंडे में फिर से याचिकाकर्ता का नाम नहीं आया। इसे आगे देखा जा सकता है

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश, जो स्थानांतरण समिति के सदस्य थे और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन आर. जी. के बयान।

एक्स वी। पंजीकृत जनरल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

जे. आई. सी. के समक्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के स्थानांतरण का आधार 3 जुलाई 2014 की शिकायत थी, जिसे तत्कालीन डी एंड एस जे, ग्वालियर द्वारा संबोधित किया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ दिनों के भीतर, याचिकाकर्ता को सीधी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया, जो लगभग 507 किलोमीटर है। ग्वालियर से दूर, 7 जुलाई 2014 को स्थानांतरण समिति द्वारा लिया गया था, और उसी दिन सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था। उक्त स्थानांतरण आदेश को याचिकाकर्ता को अगले दिन यानी 8 जुलाई 2014 को सूचित कर दिया गया था।

44. याचिकाकर्ता को अपने स्थानांतरण आदेश के बारे में पता चलने पर, अगले ही दिन यानी 9 जुलाई 2014 को एक अभ्यावेदन दिया। उक्त अभ्यावेदन में, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसकी बड़ी बेटी एक प्रतिभाशाली बच्ची थी, जो 12 वीं कक्षा में पढ़ रही थी और एफ. आई. टी. जे. ई. ई. कोचिंग सेंटर में अपने बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी।

ग्वालियर। उसने आगे कहा कि उसके पति, मजबूर करने के कारण

परिस्थितियों और अपने बूढ़े माता-पिता की देखभाल के लिए, उन्हें दिल्ली में रहना पड़ा और व्यावहारिक रूप से, उन्हें अपनी बेटियों के लिए एक पिता और एक माँ दोनों की भूमिका निभानी पड़ी और उन्हें अपने पेशे और आश्रित बच्चों के बीच संतुलन बनाना पड़ा। उन्होंने सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध किया कि जब तक उनकी बेटी 12 वीं की परीक्षा पूरी नहीं कर लेती, तब तक उन्हें ग्वालियर में रहने की अनुमति दी जाए। उक्त अभ्यावेदन को दो दिनों के भीतर यानी 11 जुलाई 2014 को खारिज कर दिया गया था। तत्कालीन आर. जी. ने निम्नलिखित प्रभाव का समर्थन कियाः

" माननीय स्थानांतरण समिति ने अपनी बैठक में

7.7.2014 श्रीमती के स्थानांतरण की सिफारिश की है। मदन के आचरण और व्यवहार के संबंध में डी एंड एस जज, ग्वालियर के अनुरोध पर विचार करने के बाद, प्रशासनिक आधार पर ग्वालियर से सीधी तक। यह पता चला है कि सी. बी. एस. ई. सहित पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएं

सीधी में स्कूल उपलब्ध हैं।

इसलिए, मामला दयालु विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

और आदेश "।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थानांतरण समिति के तत्कालीन न्यायाधीश ने उसी दिन निम्नलिखित समर्थन कियाः

" अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जा सकता है क्योंकि इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है।

विचार करें "।

45. अपने पहले अभ्यावेदन की अस्वीकृति के बाद, याचिकाकर्ता ने 11 जुलाई 2014 को तत्कालीन डी एंड एस जे, ग्वालियर के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 को एक और अभ्यावेदन दिया। उक्त अभ्यावेदन में,

उन्होंने सीहोर, रायसेन, देवास या उज्जैन में अपने स्थानांतरण का अनुरोध किया था ताकि उनका [2022] 15 एस. सी. आर.

बेटी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती थी। तत्कालीन आर. जी. ने 14 जुलाई 2014 को याचिकाकर्ता के उक्त अभ्यावेदन को निम्नलिखित समर्थन के साथ स्थानांतरण समिति के समक्ष रखाः

" एक अन्य अभ्यावेदन (दिनांक 11 तारीख) पर दयालु ध्यान आमंत्रित किया जाता है। जुलाई, 2014) सुश्री द्वारा प्रस्तुत। X ', 8 वीं ए. डी. जे., ग्वालियर से सीधी में उनके स्थानांतरण के संबंध में, लगभग समान आधारों पर

उनकी बेटियों की शिक्षा से संबंधित।

9 सुश्री 'एक्स' की जुलाई, 2014 और इसे अस्वीकार करने के लिए प्रसन्न किया गया है। 11 जुलाई, 2014 के दोहराए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए मामले को दयालु विचार और आदेशों के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाता है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थानांतरण समिति के तत्कालीन न्यायाधीश ने उसी दिन निम्नलिखित समर्थन कियाः

" प्रतिनिधित्व पर पहले से ही पारित आदेश को देखते हुए सं.

आगे पुनर्विचार किया जाना है "।

46. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण मध्यावधि में किया गया था, हालांकि उसे बहुत अच्छी तरह से स्थानांतरित किया जा सकता था।

मार्च-अप्रैल, 2014 में प्रभावी होने वाले सामान्य स्थानान्तरण। मध्यावधि स्थानान्तरण, जो विभिन्न आधारों पर किए जाने थे, के कार्यसूची में भी याचिकाकर्ता का नाम शामिल नहीं किया गया था। ग्वालियर के तत्कालीन डी एंड एस. जे. द्वारा तत्कालीन आर. जी. को ग्वालियर से बाहर स्थानांतरित करने की शिकायत को संबोधित करने के बाद ही मामले को कुछ दिनों के भीतर स्थानांतरण समिति के समक्ष रखा गया और स्थानांतरण समिति ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी। स्थानांतरण आदेश की प्राप्ति के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता ने 9 जुलाई 2014 को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें विशेष रूप से बताया गया कि उसकी बेटी 12 वीं कक्षा में पढ़ रही थी और एफ. आई. टी. जे. ई. ई. कोचिंग भी ले रही थी। उक्त अभ्यावेदन को दो दिनों के भीतर खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता को एक वैध उम्मीद थी कि स्थानांतरण नीति के खंड 9 (ए) को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से उनके प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाएगा। अंतरण नीति में यह प्रावधान है कि

प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, आरजी की टिप्पणियों को प्राप्त करेगा जिला न्यायाधीश एक सप्ताह के भीतर और उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद

आवश्यक सत्यापन, यह आवश्यक था कि मामले को एक सप्ताह के भीतर संबंधित पोर्टफोलियो न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए, जिन्हें अपनी टिप्पणियों/राय के साथ एक सप्ताह की अवधि के भीतर फाइल वापस करनी थी।

एमएस। एक्स वी। पंजीकृत जनरल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

47. निर्विवाद रूप से, न तो जिले से टिप्पणियां प्राप्त करने की स्थानांतरण नीति के खंड 9 के तहत निर्धारित प्रक्रिया

न्यायाधीश और पोर्टफोलियो न्यायाधीश का अनुपालन किया गया और न ही स्थानांतरण समिति ने स्थानांतरण नीति के खंड 9 (ए) के प्रावधानों पर विचार किया।

48. जब स्थानांतरण नीति के खंड 9 के उपखंड (ए) में प्रावधान किया गया है कि विस्तार के लिए न्यायिक अधिकारी के मामले पर विचार किया जाना चाहिए। यदि ऐसे न्यायिक अधिकारी की बेटी (बेटा नहीं) को फाइनल के लिए उपस्थित होना था

बोर्ड परीक्षा या विश्वविद्यालय परीक्षा का वर्ष, और जब ऐसे शैक्षणिक संस्थान जहाँ ऐसी बेटी पढ़ रही है, वहाँ लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है, तो याचिकाकर्ता को एक वैध अपेक्षा थी कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय उसके अनुरोध पर उसके अनुसार विचार करेगा। इतना ही नहीं, विस्तार की ऐसी रियायत केवल तभी उपलब्ध होती जब जिला न्यायाधीश प्रमाणित करता कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान में कोई छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसे आगे टिप्पणियों की भी आवश्यकता थी आर. जी. द्वारा जिला न्यायाधीश और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पोर्टफोलियो न्यायाधीश से प्राप्त किया जाना चाहिए। हस्तांतरण नीति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभ्यावेदन की प्राप्ति और उस पर निर्णय की तारीख के बीच कुल 3 सप्ताह की अवधि प्रदान की गई है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के दो दिनों के भीतर, स्थानांतरण समिति ने हस्तांतरण नीति के खंड 9 के उपखंड (ए) पर विचार किए बिना इसे अस्वीकार कर दिया। यह एक अलग मामला है कि जिला न्यायाधीश से टिप्पणियां आमंत्रित करना केवल एक औपचारिकता होती।

क्योंकि स्थानांतरण उसकी शिकायत पर ही किया गया था।

49. बात यहीं खत्म नहीं होती। उसकी पहली अस्वीकृति पर

यह अनुरोध करते हुए कि उन्हें में उल्लिखित चार शहरों में से किसी में भी तैनात किया जाए प्रतिनिधित्व कहा ताकि उसकी बेटी अपनी शिक्षा जारी रख सके। हालाँकि, तत्कालीन आर. जी. ने इस बात का समर्थन किया कि उक्त प्रतिनिधित्व उसी आधार पर है जैसा कि 9 जुलाई 2014 के पहले के अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया था, जिसे पहले ही खारिज कर दिया गया है। स्थानांतरण समिति ने इस बात का समर्थन किया कि पूर्व में पारित आदेश को देखते हुए

9 जुलाई 2014 का अभ्यावेदन, आगे कोई पुनर्विचार नहीं किया जाना है

बनाया गया। याचिकाकर्ता के दोनों अभ्यावेदन अलग-अलग अनुरोधों के साथ किए जाते हैं। जबकि पहला प्रतिनिधित्व 8 महीने की अवधि के लिए ग्वालियर में उसे बनाए रखने का अनुरोध करता है ताकि उसकी बेटी ग्वालियर में अपनी शिक्षा जारी रख सके; दूसरे प्रतिनिधित्व में, उसने 4 स्थानों में से किसी एक पर तैनात होने का अनुरोध किया था, जहां उसकी बेटी [2022] 15 एस. सी. आर.

50. याचिकाकर्ता को स्थानांतरण नीति के खंड 10 को ध्यान में रखते हुए एक वैध अपेक्षा थी कि उस स्थिति में 4 स्थानों में से किसी पर भी पोस्टिंग के लिए उसके मामले पर विचार किया जाए जब तत्कालीन वर्तमान पोस्टिंग पर उसके प्रतिधारण के अनुरोध पर विचार नहीं किया गया था और इस तरह, उसने दूसरा किया प्रतिनिधित्व। हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि दूसरे अभ्यावेदन की अस्वीकृति तत्कालीन आरजी द्वारा दिमाग के पूर्ण गैर-अनुप्रयोग को दर्शाती है

51. हस्तांतरण नीति के खंड 22 को ध्यान में रखते हुए हस्तांतरण को उचित ठहराने की कोशिश की गई है। एक आधार जिसके आधार पर स्थानांतरण किया जा सकता है मध्यावधि में ऐसा किया जाता है कि ऐसे न्यायिक अधिकारी का कार्य निष्पादन निर्धारित मानदंडों से कम पाया जाता है। यह स्वीकार किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में यह उपलब्ध नहीं है। मूल्यांकन वर्ष 2013 के लिए 15 जनवरी 2014 को तत्कालीन डी एंड एस जे, ग्वालियर द्वारा किए गए मूल्यांकन में याचिकाकर्ता का प्रदर्शन 'बहुत अच्छा' पाया गया है। यह हमें हस्तांतरण के खंड 22 के तहत उपलब्ध दूसरा आधार देता है।

नीति, कि स्थानांतरण किया जा सकता है यदि ऐसे न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए आधार मौजूद हैं। यहाँ भी ऐसा नहीं है। 52. यह आग्रह किया जाता है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण जनहित में या प्रशासन के हित में किया गया था क्योंकि सीधी में एक अतिरिक्त न्यायाधीश की आवश्यकता थी। स्थानांतरण समिति के तत्कालीन न्यायाधीश ने जे. आई. सी. के समक्ष अपने बयान में विशेष रूप से स्वीकार किया है कि प्रासंगिक समय पर, याचिकाकर्ता द्वारा अपने दूसरे अभ्यावेदन में उल्लिखित 4 स्थानों पर विचाराधीनता सीधी की तुलना में बहुत अधिक थी। उन्होंने आगे स्वीकार किया है

कि यद्यपि उक्त 4 स्थानों पर पद खाली थे, लेकिन सीधी में कोई रिक्ति नहीं थी। स्थानांतरण नीति के अनुसार, एक न्यायिक अधिकारी को श्रेणी 'ए' शहर से श्रेणी 'बी' शहर में, 'बी' से स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

'सी' से 'डी' और 'डी' से 'ए'। हालाँकि, याचिकाकर्ता के मामले में, याचिकाकर्ता को सीधे ग्वालियर से स्थानांतरित कर दिया गया था, जो है

श्रेणी 'ए' शहर से सीधी, जो श्रेणी 'सी' शहर है। याचिकाकर्ता द्वारा अपने दूसरे अभ्यावेदन में जिन 4 शहरों का उल्लेख किया गया है, वे 'बी' श्रेणी के शहर हैं। इस स्वीकार के साथ कि एमएस का स्थानांतरण।

या तो प्रतिनियुक्ति या पूर्व संवर्ग के पदों पर, मुख्य धारा में लाया गया है। यह भी पाया गया है कि कई न्यायिक अधिकारी उक्त के दायरे में आते हैं स्थानांतरण आदेश उसी स्थान पर तैनात किए गए थे क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति से उन्हें मुख्य धारा में लाया गया है। किसी भी मामले में, यह नहीं बताया गया है कि क्या उक्त न्यायिक अधिकारियों को भी वही कठिनाई हो रही थी, जिसका सामना याचिकाकर्ता को करना पड़ रहा था। यह भी रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है कि क्या उन न्यायिक अधिकारियों के पास था

54. इस समय हम कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं और अन्य वी। यू. पी. और अन्य राज्य 1 0:

" 33. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है, जैसा कि हमने पहले संकेत दिया है, कि राज्य की कार्रवाई की वैधता का अनुमान है और बोझ राज्य पर है। वह व्यक्ति जो दावे को साबित करने के लिए अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का आरोप लगाता है। हालांकि, जहां कोई प्रशंसनीय कारण या सिद्धांत का संकेत नहीं दिया गया है और न ही यह स्पष्ट है और इसलिए विवादित राज्य कार्रवाई दिखाई देती है।

समीक्षा सीमित है जैसा कि द्वारकादास मरफतिया में बताया गया है। मामला [(1989) 3 एस. सी. सी. 293] राज्य की कार्रवाई की देखरेख के लिए

संतुष्ट करने का उद्देश्य कि यह बुराई से दूषित नहीं है

मनमानी और अधिक नहीं। नीति का विवेक या इसकी कमी या एक बेहतर विकल्प की वांछनीयता ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा के अनुमेय दायरे में नहीं है। यह अदालतों के लिए नहीं है कि वे नीति को फिर से तैयार करें या इसे किसी अन्य के साथ प्रतिस्थापित करें जो है

अधिक उपयुक्त माना जाता है, एक बार मनमानेपन के आधार पर हमले को यह दर्शाकर सफलतापूर्वक विफल कर दिया जाता है कि जो कार्य किया गया था, वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निष्पक्ष और उचित था। जैसा कि डिप्लॉक, एल. जे., ने सिविल सेवा संघों की परिषद बनाम में संकेत दिया है। नागरिक मंत्री

सेवा [(1984) 3 सभी ई. आर. 935] न्यायिक समीक्षा की शक्ति अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक अनुचितता के आधार तक सीमित है। मनमानेपन के मामले में, अतार्किकता का दोष

यह स्पष्ट है "।

55. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि राज्य की कार्रवाई की वैधता का अनुमान है और इस दावे को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का आरोप लगाता है। यह आगे माना गया है कि जहां कोई प्रशंसनीय कारण नहीं है या

निष्पादित किया गया, जिससे राज्य पर अपनी कार्रवाई को निष्पक्ष और उचित ठहराने की जिम्मेदारी स्थानांतरित हो गई। यदि राज्य अपनी कार्रवाई को उचित और उचित ठहराने के लिए सामग्री प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो मनमानेपन का आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर बोझ को निर्वहन के लिए माना जाना चाहिए। न्यायिक समीक्षा का सीमित दायरा केवल यह संतुष्ट करने के लिए है कि राज्य की कार्रवाई मनमानेपन की बुराई से दूषित नहीं होती है और न ही इससे अधिक। यह समान रूप से तय किया गया है कि यह अदालतों के लिए नहीं है कि वे नीति को फिर से तैयार करें या इसे किसी अन्य के साथ प्रतिस्थापित करें जिसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मनमानेपन के आधार पर किए गए हमले को यह दर्शाकर सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया है कि जो कार्य किया गया था, वह तथ्यों और परिस्थितियों में निष्पक्ष और उचित था। मामला।

इसके विपरीत, स्थानांतरण समिति पर तत्कालीन न्यायाधीश द्वारा जे. आई. सी. के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि स्थानांतरण केवल तत्कालीन डी. एंड एस. जे., ग्वालियर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर किया गया था। इसकी सत्यता की पुष्टि करना। न केवल यह, बल्कि यह स्पष्ट है कि तत्कालीन एमएस।

एक्स वी। पंजीकृत जनरल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

न्यायाधीश ने अभ्यावेदन के साथ संलग्न अनुलग्नकों पर ध्यान नहीं दिया था, जिसमें याचिकाकर्ता की बेटी की शुल्क रसीदें आदि शामिल थीं।

57. हम लाभप्रद रूप से कलाभारती विज्ञापन बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं। हेमंत विमलनाथ नरीचनिया और अन्य 1 1.

" 25. राज्य वास्तव में या कानून में दुर्भावना या द्वेष के बिना निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है। कानूनी द्वेष "या" कानून में द्वेष "का अर्थ है कानूनी बहाने के बिना किया गया कुछ। यह एक ऐसा कार्य है जो बिना किसी उचित या संभावित कारण के गलत तरीके से और जानबूझकर किया गया है, और जरूरी नहीं कि यह एक ऐसा कार्य है जो बुरी भावना और बावजूद के किया गया हो। यह दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा में जानबूझकर किया गया कार्य है। जहाँ द्वेष का श्रेय राज्य को दिया जाता है, वहाँ यह कभी भी राज्य की ओर से व्यक्तिगत दुर्भावना या बावजूद का मामला नहीं हो सकता है। यह एक ऐसा कार्य है जिसे एक तिरछी या अप्रत्यक्ष वस्तु के साथ लिया जाता है। इसका अर्थ है "उन विदेशी उद्देश्यों के लिए वैधानिक शक्ति का प्रयोग जिनके लिए यह कानून में अभिप्रेत है"। यह.

इसका अर्थ है दूसरे के पूर्वाग्रह के प्रति कानून का सचेत उल्लंघन, दूसरों के अधिकारों की अवहेलना करने के लिए प्राधिकरण की ओर से एक विकृत झुकाव, जो इसके हानिकारक कार्यों से प्रकट होता है। (ए. डी. एम., जबलपुर बनाम। शिवकांत शुक्ला [(1976) 2 एस. सी. सी 521

: ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1207], एस. आर. वेंकटरमण बनाम। संघ का

भारत [(1979) 2 एससीसी 491: 1979 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 216: ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 49], ए. पी. राज्य बनाम। गोवर्धनलाल पिट्टी [(2003) 4 एस. सी. सी. 739: ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1941], बी. पी. एल. लिमिटेड बनाम। एस. पी. गुरुराजा [(2003) 8 एस. सी. सी. 567] और डब्ल्यू. बी. एस. ई. बी. बनाम। दिलीप कुमार रे [(2007) 14 एससीसी 568:

(2009) 1 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 860]।) 26. किसी अनधिकृत उद्देश्य के लिए आदेश पारित करना कानून में द्वेषपूर्ण है। (पंजाब एस. ई. बी. लिमिटेड बनाम जोरा सिंह [(2005) 6 एस. सी. सी. 776] और भारत संघ बनाम। वी. रामकृष्णन [(2005) 8 एससीसी 394: 2005 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1150]।) "

58. यह मामूली बात है कि राज्य निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है

वास्तव में या कानून में दुर्भावना या द्वेष के बिना। कानूनी द्वेष "या" कानून में द्वेष "का अर्थ है कानूनी बहाने के बिना किया गया कुछ। यह एक ऐसा कार्य है जो बिना किसी उचित या संभावित कारण के गलत तरीके से और जानबूझकर किया गया है, और जरूरी नहीं कि यह एक ऐसा कार्य है जो बुरी भावना और बावजूद के किया गया हो। जहाँ द्वेष का श्रेय राज्य को दिया जाता है, वहाँ यह कभी भी राज्य की ओर से द्वेष या विरोध का मामला नहीं हो सकता है। इसका अर्थ होगा "उद्देश्यों" के लिए वैधानिक शक्ति का प्रयोग।

उन लोगों के लिए विदेशी जिनके लिए यह कानून में अभिप्रेत है। इसका अर्थ है दूसरे के पूर्वाग्रह के लिए कानून का सचेत उल्लंघन, दूसरों के अधिकारों की अवहेलना करने के लिए प्राधिकरण की ओर से एक भ्रष्ट झुकाव।

59. इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता की ओर से इसका जोरदार तर्क दिया गया है

यह कि स्थानांतरण आदेश दुर्भावनापूर्ण है और न्यायमूर्ति 'क' के कहने पर जारी किया गया है, हमें मामले के उस पहलू में जाना आवश्यक नहीं लगता है।

60. निम्नलिखित टिप्पणियों को संदर्भित करना भी प्रासंगिक होगा।

सोमेश तिवारी बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा किया गया। भारत संघ और अन्य 1 2.

" 16. निर्विवाद रूप से स्थानांतरण का आदेश एक प्रशासनिक आदेश है।

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि स्थानांतरण, जो है

आम तौर पर सेवा की किसी घटना में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकरण की ओर से दुर्भावना हो

सिद्ध हो जाता है। माला फिदे दो प्रकार की होती है-एक वास्तव में द्वेष और

कानून में दूसरा द्वेष। विचाराधीन आदेश आकर्षित करेगा

कानून में द्वेष का सिद्धांत क्योंकि यह किसी भी कारक पर आधारित नहीं था

स्थानांतरण का आदेश पारित करने के लिए और एक अप्रासंगिक के आधार पर

जमीन

अर्थात् अनाम में अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर

शिकायत करें। यह कहना एक बात है कि नियोक्ता का अधिकार है

प्रशासनिक आवश्यकताओं में स्थानांतरण का आदेश पारित करें लेकिन यह है

कहने के लिए एक और बात यह है कि हस्तांतरण का आदेश के माध्यम से पारित किया जाता है

या सजा के बदले में। जब हस्तांतरण का आदेश पारित किया जाता है

सजा के स्थान पर, उसे पूरी तरह से अलग रखा जा सकता है। अवैध "।

61. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आम तौर पर स्थानांतरण का आदेश, जो

सेवा की एक घटना में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि यह दुर्भावनापूर्ण है। यह माना गया है कि दुर्भावना दो प्रकार की होती है-एक 'वास्तव में द्वेष' और दूसरा 'कानून में द्वेष'। जब कोई आदेश हस्तांतरण के आदेश को पारित करने के लिए किसी भी कारक पर आधारित नहीं होता है और एक अप्रासंगिक आधार पर आधारित होता है, तो ऐसा आदेश कानून में टिकाऊ नहीं होगा।

62. पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम कह सकते हैं कि हालांकि यह मामला है

प्रत्यर्थी संख्या 1 का कि याचिकाकर्ता का दिनांक 8 जुलाई 2014 का स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर था, अभिलेख पर रखी गई सामग्री और विशेष रूप से, स्थानांतरण समिति पर तत्कालीन न्यायाधीश और तत्कालीन आर. जी. के बयान स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि यह था

12 (2009) 2 एससीसी 592 एमएस।

एक्स वी। पंजीकृत जनरल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

तत्कालीन डी एंड एस जे, ग्वालियर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर। यह एक अलग पहलू है कि जे. आई. सी. तथ्य के एक विशिष्ट निष्कर्ष पर आया था, कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता के स्थानांतरण और उसकी दोनों की अस्वीकृति में न्यायमूर्ति 'ए' की भूमिका थी।

प्रतिनिधित्व। इसलिए हमारा विचार है कि 8 जुलाई 2014 का स्थानांतरण आदेश पूरी तरह से 'कानूनी द्वेष' के दायरे में आएगा क्योंकि इसे स्थानांतरण नीति में दिए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखे बिना पारित किया गया था, लेकिन तत्कालीन डी एंड एस जे, ग्वालियर द्वारा की गई शिकायत में किए गए असत्यापित आरोपों के आधार पर। 63. यह हमें अगले मुद्दे के साथ छोड़ देता है कि क्या 11 जुलाई 2014 और 14 जुलाई 2014 के स्थानांतरण समिति के आदेश, 9 जुलाई 2014 और 11 जुलाई 2014 के याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज करते हुए, कानून में मान्य थे या नहीं।

64. यह देखा जा सकता है कि स्थानांतरण नीति के खंड 9 के अनुसार, याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है उसे उसी पद पर बनाए रखने के लिए, और स्थानांतरण नीति के खंड 10 को देखते हुए उसकी पसंद के वैकल्पिक स्थानों पर पोस्ट करने के लिए। जब स्थानांतरण नीति में अभ्यावेदन करने का प्रावधान है, तो याचिकाकर्ता को एक वैध अपेक्षा थी कि उक्त अभ्यावेदन पर उसके अनुसार विचार किया जाएगा। प्रतिनिधित्व पर विचार करना कोई औपचारिकता नहीं है। हम एक पल के लिए भी यह नहीं कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन की अस्वीकृति से पहले, उसे सुना जाना चाहिए था या इस तरह की अस्वीकृति के कारणों को सूचित किया जाना चाहिए था। हालांकि, कम से कम यह उम्मीद की जाती है कि प्रतिनिधित्व पर सही तरीके से विचार किया जाए। जब हस्तांतरण नीति एक आधार प्रदान करती है जिस पर

प्रतिनिधित्व किया जाना है, तो कम से कम यह उम्मीद की जाती है कि इस मामले पर हस्तांतरण नीति में किए गए प्रावधानों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। अपने पहले अभ्यावेदन में, याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से तर्क दिया था कि उसे अपनी बेटी की शिक्षा के आधार पर ग्वालियर में रखा जाना चाहिए। एक वैध अपेक्षा थी कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि क्या उसका मामला स्थानांतरण नीति के खंड 9 (ए) में फिट बैठता है। याचिकाकर्ता इस आधार पर अपने मामले पर विचार करने का हकदार था कि उसकी बेटी को पेश होना था बोर्ड परीक्षा के अंतिम वर्ष में। याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से कहा था कि उनकी बेटी भी एफ. आई. टी. जे. ई. ई. कोचिंग से गुजर रही थी। उन्होंने आगे स्पष्ट रूप से कहा था कि उनकी बेटी के शैक्षणिक वर्ष पूरा करने के बाद, वह स्थानांतरण आदेश का पालन करने के लिए तैयार थी। हालाँकि, तत्कालीन आर. जी. की टिप्पणी में, यह उल्लेख किया गया था कि "यह पर्याप्त [2022] 15 एस. सी. आर. है।

सीधी में सी. बी. एस. ई. स्कूल सहित शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह आगे कहा गया है कि स्थानांतरण समिति ने 7 जुलाई 2014 को आयोजित अपनी बैठक में याचिकाकर्ता के स्थानांतरण की सिफारिश की थी। याचिकाकर्ता के आचरण और व्यवहार के संबंध में तत्कालीन डी एंड एस जे, ग्वालियर के अनुरोध पर विचार करने के बाद प्रशासनिक आधार। उक्त प्रस्ताव पर स्थानांतरण समिति के तत्कालीन न्यायाधीश ने निर्देश दिया था

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अस्वीकार किया जाना। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने इस बात पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया था कि क्या याचिकाकर्ता के मामले पर स्थानांतरण नीति के खंड 9 (ए) के तहत विचार करने की आवश्यकता थी या नहीं।

65. जहां तक 11 जुलाई 2014 के दूसरे अभ्यावेदन का संबंध है, याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से कहा था कि चूंकि उसकी बेटी बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी और एफ. आई. टी. जे. ई. ई. कोचिंग भी ले रही थी, इसलिए उसे सीहोर, रायसेन, देवास या उज्जैन जैसे स्थानों पर स्थानांतरित किया जा सकता है, जहां उसकी बेटी अपनी शिक्षा जारी रख सकती है।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि, जबकि पहले अभ्यावेदन में, याचिकाकर्ता ने ग्वालियर में प्रतिधारण की मांग की थी, दूसरे अभ्यावेदन में, उसने उपरोक्त 4 स्थानों में से किसी एक पर नियुक्ति का अनुरोध किया था। हालाँकि, तत्कालीन आर. जी. ने 14 जुलाई 2014 को फाइल पर इस प्रभाव का समर्थन किया कि "उक्त प्रतिनिधित्व लगभग उसी आधार पर किया गया था जैसा कि पहले प्रतिनिधित्व में किया गया था, जिसे पहले ही 11 जुलाई 2014 को खारिज कर दिया गया था।" स्थानांतरण समिति के तत्कालीन न्यायाधीश ने इस बात का समर्थन किया कि "पहले के अभ्यावेदन में पहले ही पारित 11 जुलाई 2014 के आदेश को देखते हुए, आगे कोई पुनर्विचार नहीं किया जाना है"। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हालांकि 11 जुलाई 2014 को याचिकाकर्ता का दूसरा अभ्यावेदन उसे 4 वैकल्पिक स्थानों में से किसी एक पर तैनात करने के अनुरोध के साथ है, यह टिप्पणी कि "समान आधारों पर अभ्यावेदन पहले ही खारिज कर दिया गया था", तथ्यात्मक रूप से गलत है। जबकि याचिकाकर्ता का पहला अभ्यावेदन ग्वालियर में प्रतिधारण के लिए था, दूसरा एक वैकल्पिक स्थान पर पोस्टिंग के लिए था, जहाँ उसकी बेटी अपनी शिक्षा जारी रख सकती थी। स्थानांतरण नीति के खंड 10 को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को एक वैकल्पिक नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की वैध अपेक्षा थी, यदि प्रतिधारण के लिए उसके अनुरोध पर विचार नहीं किया जाना था।

66. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व का निर्णय लेते समय उन कारकों को ध्यान में रखने में विफल रहा है, जिन पर विचार करने की आवश्यकता थी और उन कारकों को ध्यान में रखा था जो प्रासंगिक नहीं थे। एमएस पर तत्कालीन न्यायाधीश।

एक्स वी। पंजीकृत जनरल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

स्थानांतरण समिति ने जे. आई. सी. के समक्ष अपने बयान में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि वह याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के साथ संलग्न अनुलग्नकों में नहीं गए थे। प्रासंगिक सामग्री पर विचार न करना और बाहरी सामग्री पर विचार न करना तर्कहीनता के दायरे में आ जाएगा। एक ऐसी कार्रवाई जो मनमाना, तर्कहीन और अनुचित है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित होगी। इसलिए, हम पाते हैं कि 9 जुलाई 2014 और 11 जुलाई 2014 के याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन की अस्वीकृति भी कानून की जांच में नहीं आएगी। 67. यह हमें अगले मुद्दे के साथ छोड़ देता है कि क्या याचिकाकर्ता के 15 जुलाई 2014 के इस्तीफे को स्वेच्छा से माना जा सकता है।

एक.

68. याचिकाकर्ता का त्यागपत्र इस प्रकार हैः

" यह सबसे सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि मैं जारी रखने में असमर्थ हूं।

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में मेरी सेवाएं।

जैसा कि मुझे सीधी में स्थानांतरित कर दिया गया है, शिक्षा के मध्य में

तीसरी और बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली मेरी बेटियों का सत्र,

इसने मेरे बारहवीं कक्षा के करियर के महत्वपूर्ण चरण को प्रभावित किया। बेटी। इसलिए मेरे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

मेरी पोस्ट।

मैं एतद्वारा अतिरिक्त जिले के पद से इस्तीफा देता हूं और

सत्र न्यायाधीश और मैं नियमों के अनुसार अपना वेतन जमा करने और अपने सभी बकाया, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए तैयार हैं।
मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार करें और मुझे तत्काल प्रभाव से मुक्त करें।

69. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि उक्त त्यागपत्र स्वैच्छिक है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की गई है और इस प्रकार,

नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध टूट गए थे।

70. विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि यह एक आवेगपूर्ण था

केवल मध्यावधि स्थानांतरण के कारण इस्तीफा देने का निर्णय। उन्होंने कहा कि यह मानना विनाशकारी होगा कि एक मध्यावधि स्थानांतरण इस्तीफे के परिणामस्वरूप जबरदस्ती के बराबर होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की याचिका एक न्यायिक अधिकारी के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जो न्याय देने के संप्रभु कार्य का निर्वहन कर रहा है और जिसे न्याय पाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। स्वतंत्र, निडर, आवेगहीन और कानून के अनुसार कार्य करना।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

71. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक न्यायिक अधिकारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय स्वतंत्र, निडर, भावुक और आवेगहीन होने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन न्यायिक अधिकारी भी एक इंसान होता है। एक न्यायिक अधिकारी भी एक अभिभावक होता है। वह पिता या माँ हो सकता है। सवाल यह होगा कि क्या एक न्यायिक अधिकारी को एक व्यक्ति के रूप में अपने व्यक्तिगत मामले में निर्णय लेते समय, अपने पिता या माता की क्षमता में, उन्हीं मापदंडों द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता होगी।

72. इस पर विचार करने के लिए कि क्या वर्तमान में त्यागपत्र

इस मामले को स्वैच्छिक माना जा सकता है या नहीं, इस्तीफे पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सभी परिचर परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।

73. आइए हम याचिकाकर्ता के दृष्टिकोण से तथ्यों पर विचार करें।

74. जहां तक याचिकाकर्ता के करियर का सवाल है, 8 जुलाई 2014 तक कोई मुद्दा नहीं था। उन्हें ग्वालियर में एडी एंड एसजे के रूप में तैनात किया गया था

1 सेंट अगस्त 2011। 15 जनवरी 2013 को, तत्कालीन डी एंड एस जे, ग्वालियर द्वारा 3 मई 2012 से 31 दिसंबर 2012 तक की अवधि के लिए उनका मूल्यांकन किया गया था, जिन्होंने उनकी श्रेणीकरण का मूल्यांकन 'अच्छा' किया था, जिसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन पोर्टफोलियो/प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किया गया था। बीच में

दिसंबर 2013 और जून 2014 में याचिकाकर्ता को विभिन्न अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गईं। 15 जनवरी 2014 को, तत्कालीन डी एंड एस जे, ग्वालियर द्वारा 8 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2013 तक की अवधि के लिए उनका मूल्यांकन किया गया था, जिन्होंने उनकी ग्रेडिंग का मूल्यांकन 'बहुत अच्छा' किया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन पोर्टफोलियो/प्रशासनिक न्यायाधीश ने भी इसका समर्थन किया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तत्कालीन डी एंड एस जे, ग्वालियर, जिन्होंने मूल्यांकन वर्ष 2012 के लिए याचिकाकर्ता के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया था, मूल्यांकन वर्ष 2013 के लिए उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाले की तुलना में अलग थे।

75. व्यक्तिगत मोर्चे पर, याचिकाकर्ता की दोनों बेटियाँ ग्वालियर में शिक्षा ले रही थीं। उनमें से एक कक्षा तीसरी में पढ़ रहा था और दूसरा कक्षा 12 में पढ़ रहा था और वह भी एफ. आई. टी. जे. ई. से गुजर रहा था।

कोचिंग। चूंकि उसके पति को पेशेवर और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के कारण दिल्ली में होना आवश्यक था और यह भी कि उसे अपने बूढ़े माता-पिता की देखभाल करनी थी, इसलिए याचिकाकर्ता को उसके बीच संतुलन बनाना पड़ा

एक न्यायिक अधिकारी और एक माँ के रूप में कर्तव्य। 76. 8 जुलाई 2014 तक सब कुछ सुचारू था लेकिन उक्त तारीख को उसे सीधी स्थानांतरित करने का स्थानांतरण आदेश आया, जो बहुत दूर था।

507 किलोमीटर की दूरी। ग्वालियर से। खंड एमएस के तहत शरण लेना।

एक्स वी। पंजीकृत जनरल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

9 (क) स्थानांतरण नीति के तहत, याचिकाकर्ता ने अगले ही दिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से अनुरोध किया गया कि उसे कम से कम तब तक ग्वालियर में रखा जाए जब तक कि उसकी बेटी 12 वीं कक्षा की शिक्षा पूरी नहीं कर लेती, लेकिन उसे दो दिनों की छोटी अवधि के भीतर खारिज कर दिया गया। उन्होंने 11 जुलाई 2014 को अपना दूसरा अभ्यावेदन दिया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से अनुरोध किया गया कि वे उसमें उल्लिखित 4 शहरों में से किसी में भी अपनी वैकल्पिक पोस्टिंग दें, जहां उनकी बेटी अपनी शिक्षा जारी रख सकती है। सभी 4 शहर श्रेणी 'बी' शहर थे। सामान्य परिस्थितियों में, एक न्यायिक अधिकारी, जो श्रेणी 'ए' शहर में है, को श्रेणी 'बी' शहर में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। हालाँकि, उसे पूरी तरह से आश्चर्य हुआ, उसे भी तीन दिनों के भीतर अस्वीकार कर दिया गया। 77. इस कम समय के दौरान याचिकाकर्ता को जिस आघात का सामना करना पड़ा होगा, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि उनका तबादला तत्कालीन डी एंड एस जे, ग्वालियर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर किया जा रहा था, जो स्वयं 2014 में किसी समय ग्वालियर में शामिल हुए थे, जब तत्कालीन डी एंड एस जे, ग्वालियर, जिन्होंने वर्ष 2013 के लिए याचिकाकर्ता का मूल्यांकन किया था, का तबादला कर दिया गया था। उसे शिकायत के बारे में बहुत बाद में पता चला था। 9 जुलाई 2014 को अपने पहले अभ्यावेदन में, याचिकाकर्ता ने अपनी अनिश्चित स्थिति के बारे में विस्तार से बताया क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए एक माँ और पिता दोनों होने की आवश्यकता थी और अपने पेशेवर कर्तव्यों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता थी।

उन्होंने कहा कि अपने करियर की कीमत पर, वह अपनी बेटी के सभ्य शिक्षा के अधिकार को बाधित नहीं कर सकती थीं और एक प्रेरणादायक जीवन के लिए उसकी संभावनाओं पर अंकुश नहीं लगा सकती थीं। याचिकाकर्ता ने केवल अपील की कि भावनात्मक आघात से बचने और अपनी बेटी को 12 वीं कक्षा पूरी करने में मदद करने के लिए, उसे थोड़े समय के लिए ग्वालियर में रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उनकी बेटी 12 वीं कक्षा पूरी करने के बाद, उन्हें जो भी पद आवंटित किया जाएगा, वह उस पर आगे बढ़ेंगी। हालांकि, इसे दो दिनों के भीतर यानी 11 जुलाई 2014 को हस्तांतरण नीति के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना खारिज कर दिया गया था। 78. याचिकाकर्ता ने उसी दिन यानी 11 जुलाई 2014 को एक और अभ्यावेदन दिया, जिसमें सीहोर, रायसेन, देवास या उज्जैन में वैकल्पिक नियुक्ति का अनुरोध किया गया। उन्होंने उस दर्दनाक स्थिति को दोहराया जिससे उनकी बेटी गुजर रही थी। उन्होंने दोहराया कि अपने करियर की कीमत पर, वह अपनी बेटी के सभ्य [2022] 15 एस. सी. आर. के अधिकार को बाधित नहीं कर सकती थीं।

शिक्षा. हालाँकि, चार दिनों की अवधि के भीतर 14 जुलाई 2014 को इसे फिर से खारिज कर दिया गया।

79. याचिकाकर्ता एक न्यायिक अधिकारी थी और एक माँ भी। उसके भीतर का न्यायिक अधिकारी उसके भीतर की माँ से लड़ता रहा होगा। एक तरफ, एक न्यायिक अधिकारी के रूप में उनका करियर था; दूसरी ओर, अगर उनकी बेटी सीधी में पोस्टिंग के स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, तो उनकी बेटी की शैक्षिक संभावनाओं और करियर के खतरे में पड़ने की संभावना थी। उसके मन में इस भावना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसे न्यायपालिका की संस्था द्वारा अन्याय का सामना करना पड़ा था। वह क्या माँग रही थी? ग्वालियर में 8 महीने की अवधि के लिए एक प्रतिधारण जब तक कि उसकी बेटी 12 वीं कक्षा पूरी नहीं कर लेती। वैकल्पिक रूप से, उन 4 शहरों में से किसी में भी पोस्टिंग, जो श्रेणी 'बी' में थे, जहां उनकी बेटी के पास बेहतर शिक्षा सुविधाएं हो सकती थीं, और जहां रिक्तियां मौजूद थीं।

80. उसकी वैध अपेक्षा को अस्वीकार करने का कारण बन सकता था

अधिकारी माँ से लड़ाई हार गया। 81. किसी विशेष स्थिति के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करती है। किसी भी दो व्यक्तियों से एक ही स्थिति में समान रूप से प्रतिक्रिया करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह बहुत संभव है कि याचिकाकर्ता के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति ने बेटी की शिक्षा और अच्छे होने की संभावनाओं की परवाह किए बिना अपना करियर बनाना चुना होगा।

कैरियर.

82. इस्तीफा जमा करने के अगले ही दिन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उसे स्वीकार करने की सिफारिश के साथ उनका इस्तीफा भेज दिया और उसके तुरंत बाद, अगले ही दिन, प्रतिवादी संख्या 2 ने उसे स्वीकार कर लिया।

83. डॉ. प्रभा अत्री बनाम के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य 1 3 13:

13 (2003) 1 एस. सी. सी. 701 एक्स वी.

पंजीकृत जनरल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

" 7. एकमात्र प्रश्न जिस पर मुख्य रूप से विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या दिनांकित 9-1-1999 पत्र का अर्थ इस्तीफे के पत्र के रूप में या केवल इस्तीफे के उनके इरादे की अभिव्यक्ति के रूप में माना जा सकता है, यदि कथित चूक के संबंध में उनके दावों को अनुकूल रूप से नहीं देखा जाता है। अस्पताल सेवा नियमों के नियम 9 में इस्तीफे या सेवा छोड़ने का प्रावधान किया गया है।

कर्मचारी। इसमें कहा गया है कि एक स्थायी कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकरण को लिखित रूप में इस्तीफे का तीन महीने का नोटिस या नोटिस के बदले में तीन महीने का वेतन देना आवश्यक है और उसे इस तरह के नोटिस के लिए अवधि पूरी करने की आवश्यकता हो सकती है। उपरोक्त का पालन न करने के मामले में, संबंधित कर्मचारी न केवल तीन महीने के वेतन के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, बल्कि ऐसी राशि अस्पताल में पड़े कर्मचारी के बकाया, यदि कोई हो, से वसूल की जाएगी। शब्दों में और वाक्यांश (स्थायी संस्करण) खण्ड. 37 , पी पर। 476 , यह पाया गया है किः

" 'त्यागपत्र' का गठन करने के लिए, यह बिना शर्त और इस तरह से काम करने के इरादे के साथ होना चाहिए। त्याग के कार्य के साथ पद के कार्यकाल के एक हिस्से को छोड़ने का इरादा होना चाहिए। यह वापस देना है, औपचारिक रूप से छोड़ना है। एक तरीका, एक कार्यालय "।

पी. 474 उसी पुस्तक के बारे में कहा गया हैः बयान क्लब के अध्यक्ष और संबंधित सचिव द्वारा कहा गया कि वे इस्तीफा दे देंगे, यदि सदस्यों के बीच लगातार झगड़ा बंद नहीं हुआ, तो यह केवल धमकी भरे प्रस्तावों का गठन था, न कि निविदाओं का।

त्यागपत्र "। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी सार्वजनिक पद का 'त्याग' प्रभावी होने के लिए त्याग के कार्य के साथ पद छोड़ने के इरादे से किया जाना चाहिए। सामान्य शब्दकोश के अर्थ में, "त्याग" शब्द का अर्थ अपने स्वयं के अधिकार का सहज त्याग माना जाता था, जैसा कि उक्ति द्वारा व्यक्त किया गया हैः इस्तीफा देना न्यायशास्त्र के स्वामित्व का स्वाभाविक खंडन है (ब्लैक का कानून शब्दकोश, 6 वीं संस्करण)। . कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, वॉल्यूम। 77 , पी। 311 , यह कहा गया हैः

" यह कहा गया है कि 'त्यागपत्र' कानूनी कला का एक शब्द है, जिसका कानूनी अर्थ है जो कुछ कानूनी परिणामों का वर्णन करता है। यह है। विशेष रूप से, इस्तीफा देने वाले द्वारा किसी पद का स्वैच्छिक आत्मसमर्पण, स्वतंत्र रूप से किया गया और दबाव में नहीं किया गया और इस शब्द को आम तौर पर इस रूप में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है इस्तीफा देने या देने का कार्य।

ऊपर, एक दावे, अधिकार या स्थिति के रूप में। "[2022] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. पी. के. रामचंद्र अय्यर बनाम भारत संघ [(1984) 2 एस. सी. सी 141: 1984 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 214] इस न्यायालय को उस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक द्वारा लिखे गए पत्र की प्रकृति और चरित्र पर विचार करने का अवसर मिला था, जिसने पत्र में यह कहने के बाद कि वह पूरे धैर्य से अपनी शिकायत के निवारण की प्रतीक्षा कर रहा है, फिर भी उसके साथ न्याय नहीं किया गया है और

" इस प्रकार, इस मामले में इतना धैर्य दिखाने के बाद, मुझे यह निर्णय लेते हुए खेद है कि मुझे इस तरह के व्यवहार के विरोध में और 1968 और 1969 के बैच के छात्रों और विभागीय उम्मीदवारों के आवंटन में विभाग के प्रमुख द्वारा मुझे दिखाए गए भेदभाव और उत्पीड़न के विरोध में संकाय की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। (एस. सी. सी पी. 172, पैरा 34)

उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा कि अवसर का लाभ उठाने में अकादमिक परिषद का कठोर और निर्दयी रवैया

उक्त पत्र को त्याग पत्र मानकर उसे हटा दें जब वास्तव में वह हमेशा उसे न्याय दिलाने के लिए अभ्यावेदन दे रहा था और नाराज होकर उक्त व्यक्ति ने वह पत्र लिख दिया।

यह कहते हुए कि उनके लिए एकमात्र सम्मानजनक रास्ता खुला था कि वे पीड़ित होने के बजाय इस्तीफा दे दें (एस. सी. सी. पी. 173, पैरा 34)। मोती राम बनाम। परम देव [(1993) 2 एस. सी. सी. 725] इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः (एससीसी पीपी। 735-36 , पैरा 16)

" 16. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बताया गया है, 'इस्तीफे' का अर्थ है अपने स्वयं के अधिकार और संबंध में स्वतः त्याग करना।

एक कार्यालय के लिए, यह कार्यालय को छोड़ने या छोड़ने के कार्य को दर्शाता है। यह माना गया है कि सामान्य न्यायिक अर्थों में,

पूर्ण और कार्यात्मक त्यागपत्र का गठन करने के लिए पद छोड़ने या छोड़ने का इरादा होना चाहिए और इसके त्याग का सहवर्ती कार्य होना चाहिए। यह भी देखा गया है कि त्याग का कार्य अलग-अलग रूप ले सकता है या के आधार पर एक एकतरफा या द्विपक्षीय चरित्र ग्रहण करें

कार्यालय की प्रकृति और इसे नियंत्रित करने वाली शर्तें। (देखिएः भारत संघ बनाम। गोपाल चंद्र मिश्रा [(1978) 2 एस. सी. सी. 301: 1978 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 303]। यदि त्याग का कार्य एकतरफा चरित्र का है, तो यह तब प्रभावी होता है जब ऐसा कार्य इंगित करता है

सक्षम प्राधिकारी। अधिकार जिसके लिए कार्य त्याग के बारे में सूचित किया जाता है कि कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है और त्याग X v की तारीख से प्रभावी होता है।

पंजीकृत जनरल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

ऐसा संचार जहाँ त्यागपत्र का संचालन करने का इरादा हो

प्रेजेंटेशन में। इस्तीफे के भविष्य की तारीख से लागू होने की भी संभावना हो सकती है और उस स्थिति में यह उसमें दर्शाई गई तारीख से प्रभावी होगा न कि संचार की तारीख से। ऐसे मामलों में जहां त्याग का कार्य एक द्विपक्षीय चरित्र का है, त्याग करने के इरादे का संचार, अपने आप में, परिणाम के लिए पर्याप्त नहीं होगा पद का त्याग और त्याग करने के इरादे के इस तरह के संचार पर कुछ कार्रवाई की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए, पद छोड़ने के उक्त अनुरोध की स्वीकृति, और ऐसे मामले में त्याग तब तक प्रभावी या प्रभावी नहीं होता है जब तक कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है। इस बारे में कि क्या किसी पद को छोड़ने का कार्य एकतरफा है या चरित्र में द्वीपक्षीय है, यह कार्यालय की प्रकृति और शर्तों पर निर्भर करेगा।

इसे नियंत्रित करें "।

9. अपीलार्थी की ओर से इस तर्क को पलटते हुए कि दिनांक 1 के प्रश्न पत्र को त्याग पत्र के रूप में नहीं माना जा सकता है, प्रत्यर्थी अस्पताल के अधिकारियों की ओर से यह दृढ़ता से तर्क दिया जाता है कि ऐसा पत्र निलंबन आदेश के तहत अपीलार्थी की ओर से आ रहा है और इस्तीफ़ा देने की इच्छा व्यक्त करते हुए घरेलू जांच का प्रस्ताव किया गया है और वह भी

तत्काल प्रभाव, एक स्पष्ट और सरल त्यागपत्र के बिना नहीं हो सकता है

अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करने से बचने के लिए और यह कि, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी ने इसे त्यागपत्र मानने और उसे तुरंत स्वीकार करने में अपने अधिकारों के भीतर अच्छी तरह से काम किया।

इसके परिणामस्वरूप, आगे न बढ़ने का निर्देश

घरेलू जाँच का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि यह न्यायालय मामले में हस्तक्षेप करने के लिए प्रसन्न है, तो अस्पताल के अधिकारियों का उस स्तर से पहले से शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ाने का अधिकार है जिस स्तर पर यह स्वीकृति की तारीख पर था। त्यागपत्र को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए और इस संबंध में स्वतंत्रता दी जा सकती है।

10. हमने सामग्री के आलोक में दोनों तरफ से उपस्थित विद्वान वकील की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और

सिद्धांत, ऊपर ध्यान दिया। यह एक ऐसा मामला नहीं है जहां इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या त्याग के तहत परिकल्पना की गई है

सेवा के नियम और शर्तें एकतरफा या द्वीपक्षीय हैं, लेकिन क्या 9-1-1999 दिनांकित पत्र को [2022] 15 एस. सी. आर. तक माना या रखा जा सकता है।

त्यागपत्र या पद त्याग पत्र हो, ताकि उसकी सेवाओं को एक बार और हमेशा के लिए विच्छेदित किया जा सके। हमारे विचार में, इस पत्र का अर्थ त्याग के किसी भी कार्य के साथ अपने पद को छोड़ने या छोड़ने के किसी भी सहज इरादे को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है। "त्यागपत्र" का गठन करने के लिए, यह बिना शर्त और इस तरह से काम करने के इरादे के साथ होना चाहिए। सबसे अच्छा, जैसा कि इस न्यायालय ने पी. के. रामचंद्र अय्यर [(1984) 2 एस. सी. सी. 141 में निर्णय में कहाः 1984 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 214] यह एक धमकी भरे प्रस्ताव के बराबर हो सकता है कि उसे परेशान किया जा रहा है, इस विचार से पैदा हुई हताशा की भावना के कारण इस्तीफा दे दिया जाए।

अनावश्यक रूप से लेकिन किसी भी तरह से नहीं, इस्तीफे के बराबर, वास्तविक और सरल। अपीलार्थी ने लगभग दो दशकों की सेवा दी थी।

अस्पताल में, कि उसे निलंबन के तहत रखा गया था और अनुशासनात्मक कार्यवाही के संपर्क में लाया गया था और घरेलू जांच का प्रस्ताव रखा गया था और उसके लाभ के लिए कुछ लाभ थे, अगर वह इस्तीफा देती है, लेकिन फिर भी 9-1-1999 दिनांकित पत्र में उन चीजों में से किसी को भी निपटाने या अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द करने की मांग नहीं की गई है।

उनके तथाकथित इस्तीफे की अगली कड़ी। उक्त पत्र में "तत्काल प्रभाव से" शब्दों को अनुचित महत्व नहीं दिया जा सका जो संदर्भ, उपयोग की गई भाषा के भाव और उद्देश्य को दर्शाता है।

साथ ही पत्र के शेष भाग का संकेत देते हुए

जिन परिस्थितियों में यह लिखा गया था। कि प्रबंधन

अस्पताल ने तुरंत ऐसी कार्रवाई की, क्योंकि इस्तीफे की स्वीकृति के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा 9-1 1999 को लिखे गए पत्र के सही या वास्तविक इरादे का पता लगाने में बहुत अधिक महत्व नहीं है। नतीजतन, यह विचार करना उचित प्रतीत होता है कि जैसा कि पी. के. रामचंद्र अय्यर [(1984) 2 एस. सी. सी. 141 में दर्ज मामले में बताया गया है।

: 1984 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 214] उत्तरदाताओं ने एक

अपीलार्थी को सही परिप्रेक्ष्य में मामले पर उचित या उचित विचार किए बिना या उसकी सामग्री की समझ के बिना, जिस क्षण उन्हें दिनांकित पत्र मिला, उससे छुटकारा पाने का अवसर। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय भी पूरी तरह से दृष्टि खो चुका है

रिट याचिका को अस्वीकार करने में इन महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। 84. उपरोक्त मामले के तथ्य कुछ हद तक वर्तमान के समान हैं।

वर्तमान मामला भी ऐसा मामला नहीं है जिस पर विचार करने की आवश्यकता हो।

क्या नियमों के तहत त्याग की परिकल्पना की गई है और

सेवा के कार्य एकतरफा या द्वैपाक्षिक होते हैं। वर्तमान में भी, त्याग पत्र में "तत्काल प्रभाव से" शब्दों को अनुचित महत्व नहीं दिया जाता है, जो संदर्भ, एमएस के भाव को नकारता है।

एक्स वी। पंजीकृत जनरल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

इसमें उपयोग की जाने वाली भाषा, उन परिस्थितियों को दर्शाती है जिनमें इसे लिखा गया था। वर्तमान मामले में त्याग पत्र, जैसा कि पहले ही यहाँ ऊपर चर्चा की जा चुकी है, एक विचार से उत्तेजित और हताश होने के कारण प्रतीत होता है कि न्यायपालिका की संस्था द्वारा उसके साथ अन्याय किया जा रहा था। 85. हम आगे पाते हैं कि वर्तमान मामले में जिस तीव्र गति से घटनाएँ हुई हैं, वह एक संदेह को जन्म देती है, कि

कुछ और भी है जो आँखों से मिलता है। 3 जुलाई 2014 को, तत्कालीन डी एंड एस जे, ग्वालियर, जो कुछ समय पहले सेवा में शामिल हुए थे, ने तत्कालीन आर. जी. को एक शिकायत संबोधित की। उक्त डी एंड एस जे, ग्वालियर ने जे. आई. सी. के समक्ष अपने बयान में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि शिकायत में उल्लिखित मामले उनकी व्यक्तिगत जानकारी में नहीं थे, बल्कि अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा उन्हें की गई शिकायतों के आधार पर थे। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि शिकायतें उस अवधि के संबंध में थीं, जो उनके डी एंड एस जे, ग्वालियर के रूप में शामिल होने से पहले की थी। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा कोई लिखित शिकायत नहीं की गई थी और उन्होंने उनकी मौखिक शिकायतों के आधार पर शिकायत लिखने के लिए आगे बढ़े थे। उक्त शिकायत किए जाने के कुछ दिनों के भीतर, 7 जुलाई 2014 को स्थानांतरण समिति ने याचिकाकर्ता को ग्वालियर से सीधी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। स्थानांतरण आदेश 8 जुलाई 2014 को जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने अगले ही दिन यानी 9 जुलाई 2014 को एक अभ्यावेदन दिया और उसे दो दिनों के भीतर यानी 11 जुलाई 2014 को खारिज कर दिया गया। 11 जुलाई 2014 को याचिकाकर्ता ने एक और अभ्यावेदन दिया। हालाँकि, उसे भी प्रतिवादी संख्या 1 का समर्थन नहीं मिला और उसे खारिज कर दिया गया।

14 जुलाई 2014 में, इस आधार पर कि समान आधारों पर पहले का प्रतिनिधित्व पहले ही खारिज कर दिया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 12 जुलाई 2014 को दूसरा शनिवार था, 13 जुलाई 2014 को रविवार था और अगले ही कार्य दिवस यानी 14 जुलाई 2014 को उनका दूसरा प्रतिनिधित्व खारिज कर दिया गया था। 15 जुलाई 2014 को याचिकाकर्ता ने अपना इस्तीफा दे दिया। अगले दिन यानी 16 जुलाई 2014 को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार करने की सिफारिश के साथ, इसे प्रतिवादी संख्या 2 को भेज दिया। अगले ही दिन यानी 17 जुलाई 2014 को प्रत्यर्थी संख्या 2 ने इसे स्वीकार कर लिया।

86. यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि कुछ उच्च न्यायालयों में, एक प्रथा का पालन किया जाता है, कि जब भी कोई न्यायिक अधिकारी अच्छा काम करता है।

ट्रैक रिकॉर्ड उसके इस्तीफे की पेशकश करता है, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा उसे परामर्श देने और इस्तीफे को वापस लेने के लिए मनाने का प्रयास किया जाता है। न्यायिक अधिकारी के प्रशिक्षण पर बहुमूल्य समय और धन खर्च किया जाता है। बिना उसकी सलाह लिए एक अच्छे न्यायिक अधिकारी को खोना और

उसे आत्मनिरीक्षण और फिर से सोचने का अवसर दिए बिना, [2022] 15 एस. सी. आर. नहीं होगा।

न्यायिक अधिकारी या न्यायपालिका के हित में हो। हम पाते हैं कि यह न्यायपालिका के हित में होगा कि सभी उच्च न्यायालयों द्वारा इस तरह की प्रथा का पालन किया जाए।

87. इसलिए हमारा विचार है कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता का त्यागपत्र दिनांकित है।

15 जुलाई 2014 को स्वैच्छिक नहीं माना जा सका। किसी भी मामले में, एक पखवाड़े के तुरंत बाद, 1 अगस्त 2014 को, याचिकाकर्ता ने भारत के राष्ट्रपति के साथ-साथ प्रधान मंत्री को एक अभ्यावेदन दिया था भारत के न्यायाधीश, उन परिस्थितियों पर पुनर्विचार के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक प्रति के साथ, जिनके तहत उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालाँकि, यह अवलोकन करना संभव नहीं हो सकता है कि याचिकाकर्ता को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, हालाँकि, परिस्थितियाँ

यहाँ ऊपर उल्लिखित, स्पष्ट रूप से प्रकट करेगा कि वे ऐसे थे, कि हताशा के कारण, याचिकाकर्ता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।

88. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता, जो परिवीक्षा पर थी, ने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था और इस तरह, एक अपरिवर्तनीय अलगाव का कारण बना। नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता को शुरू में 1 अगस्त 2011 को दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था। उनकी परिवीक्षा 1 अगस्त 2013 को पूरी हुई थी। मान लीजिए कि 1 अगस्त 2013 से याचिकाकर्ता की परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। इसके विपरीत, उन्हें वर्ष 2013 में विभिन्न अतिरिक्त कर्तव्यों के साथ सौंपा गया था। इतना ही नहीं, मूल्यांकन वर्ष 2013 के लिए उनका मूल्यांकन, जिसके दौरान उनकी पुष्टि मानी जाएगी, 'बहुत अच्छा' था। इसलिए हम पाते हैं कि उक्त तर्क कुछ और नहीं बल्कि एक विचार के बाद है।

89. जहाँ तक विलंब के संबंध में विवाद का संबंध है, हम उक्त विवाद में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं। इसके तुरंत बाद

सेवा में पुनः नियुक्ति के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व। इसके बाद उक्त अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया था, उन्होंने वर्तमान मामले में तुरंत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इसलिए हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता को विलंब और विलंब के तथाकथित आधारों पर राहत से वंचित नहीं किया जा सकता है।

90. यह हमें विद्वान सॉलिसिटर जनरल के अंतिम निवेदन के साथ छोड़ देता है, कि यदि हम वर्तमान मामले में इस्तीफे को जबरदस्ती से प्रेरित करने के लिए रखते हैं, तो इसके दूरगामी निहितार्थ होंगे और समान रूप से स्थित न्यायिक अधिकारियों के लिए बाढ़ के द्वार खोल देंगे। एक और प्रस्तुति की गई है कि, यदि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के किसी निर्णय में हस्तक्षेप किया जाता है, तो यह पूरे संस्थान को कलंकित करेगा और इसके विनाशकारी प्रभाव होंगे।

91. हम उक्त प्रस्तुतियों को पूरी तरह से अनावश्यक पाते हैं। शुरुआत में, हमने स्पष्ट किया है कि हम केवल शुद्धता की जांच कर रहे हैं

और अन्यथा स्थानांतरण के आदेश, अभ्यावेदनों की अस्वीकृति और इस सवाल के बारे में कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों में त्यागपत्र स्वैच्छिक माना जा सकता है या नहीं। हम याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति के संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के फैसलों की शुद्धता या अन्यथा के बारे में सवाल में बिल्कुल नहीं गए हैं। जैसा कि पहले ही यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, ऐसे कारण और कारक हो सकते हैं जो इस तरह का निर्णय लेने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के साथ वजन कर सकते हैं। दोहराव की कीमत पर, हम दोहराते हैं कि हम इस तरह के निर्णय पर पहुंचने के लिए पूर्ण न्यायालय के अधिकार का पूरा सम्मान करते हैं। इस प्रकार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय को कलंकित करने का कोई सवाल ही नहीं है। यह एक अलग मामला है कि अगर इस न्यायालय द्वारा एक से अधिक अवसरों पर दिए गए सुझाव स्वीकार किया जा सकता था, तथ्यात्मक परिदृश्य की जांच करने की कवायद से बचा जा सकता था। किसी भी मामले में, हमने अपनी जांच केवल उन तथ्यों तक सीमित कर दी है, जिन्हें हमने वर्तमान मामले का फैसला करने के लिए आवश्यक पाया है। हमने निष्कर्षों के विवरण में जाने से खुद को दूर रखा है

पदार्थ। 93. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि यदि यह न्यायालय वर्तमान मामले में इस्तीफे को बलपूर्वक मानता है, तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे

न्यायपालिका के प्रशासन का संबंध है, यह भी आधारहीन है। भारत संघ और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा। धनवंती देवी और अन्य 1 4:

" 9. ..... यह सब कुछ नहीं है जो एक न्यायाधीश द्वारा निर्णय देते समय कहा जाता है जो एक मिसाल है। एक पक्ष को बाध्य करने वाले न्यायाधीश के निर्णय में एकमात्र चीज वह सिद्धांत है जिस पर मामले का निर्णय लिया जाता है और

1 4 14 (1996) 6 एस. सी. सी 44 [2022] 15 एस. सी. आर.

इस कारण से किसी निर्णय का विश्लेषण करना और उससे अनुपात को अलग करना महत्वपूर्ण है। पूर्ववर्ती के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक निर्णय में तीन बुनियादी अभिधारणाएँ होती हैं (i) भौतिक तथ्यों के निष्कर्ष, प्रत्यक्ष और अनुमानित। तथ्यों का एक अनुमानित निष्कर्ष वह निष्कर्ष है जिससे न्यायाधीश निष्कर्ष निकालता है -

प्रत्यक्ष या बोधगम्य तथ्य; (ii) तथ्यों द्वारा प्रकट कानूनी समस्याओं पर लागू कानून के सिद्धांतों के बयान; और (iii) उपरोक्त के संयुक्त प्रभाव के आधार पर निर्णय। निर्णय केवल एक प्राधिकरण है कि वह वास्तव में क्या निर्णय लेता है। किसी निर्णय में जो सार है वह उसका अनुपात है और न कि उसमें पाए जाने वाले प्रत्येक अवलोकन और न ही निर्णय में की गई विभिन्न टिप्पणियों से तार्किक रूप से क्या होता है। प्रत्येक निर्णय को साबित किए गए विशेष तथ्यों पर लागू होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, या साबित होने के लिए माना जाना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्तियों की व्यापकता जो वहाँ पाई जा सकती है, उसका उद्देश्य पूरे कानून की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि उस मामले के विशेष तथ्यों द्वारा शासित और योग्य है जिसमें ऐसी अभिव्यक्तियाँ पाई जानी हैं।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई निर्णय केवल उसी के लिए एक प्राधिकरण है जो वह वास्तव में तय करता है। हर फैसले को पढ़ा जाना चाहिए।

जैसा कि विशेष तथ्यों पर लागू होता है, जो सिद्ध या सिद्ध माना जाता है। वहाँ पाई जाने वाली अभिव्यक्तियों की व्यापकता का उद्देश्य पूरे कानून की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि उस मामले के विशेष तथ्यों द्वारा शासित और योग्य है जिसमें ऐसी अभिव्यक्तियाँ पाई जाती हैं।

94. क्षेत्रीय प्रबंधक के मामले में यह न्यायालय और एक अन्य v. पवन कुमार दुबे ने संक्षेप में इस प्रकार कहा है:

" 7. ..... यहां तक कि जहां कुछ संघर्ष प्रतीत होता है, हम सोचते हैं कि यह तब गायब हो जाएगा जब प्रत्येक मामले के अनुपात निर्णय को सही ढंग से समझा जाएगा। यह कानून के अनुप्रयोग से लेकर किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तक का वह नियम है जो उसके अनुपात का निर्धारण करता है न कि तथ्यों के आधार पर कुछ निष्कर्ष जो हो सकता है।

समान प्रतीत होता है। एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच अंतर की दुनिया बना सकता है, भले ही प्रत्येक मामले में समान सिद्धांतों को समान तथ्यों पर लागू किया जाए।

अनुपात निर्णय एक नियम है जो किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए कानून के अनुप्रयोग से अनुमानित है, न कि तथ्यों के आधार पर कुछ निष्कर्ष जो समान प्रतीत हो सकते हैं। यह माना गया है कि एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दोनों के बीच अंतर की दुनिया बना सकता है।

15 (1976) 3 एससीसी 334 एमएस।

दो मामलों में निष्कर्ष तब भी निकलते हैं जब समान तथ्यों के लिए प्रत्येक मामले में समान सिद्धांत लागू किए जाते हैं।

95. जैसा कि यहाँ पहले ही चर्चा की जा चुकी है, हम दोहरा सकते हैं कि हमने वर्तमान मामले का निर्णय केवल विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया है, जो वर्तमान मामले में पाए जाते हैं। हम करते हैं। आशा है कि भविष्य में, कम से कम एक उच्च न्यायालय और एक न्यायिक अधिकारी के बीच के मामले में, इसी तरह के तथ्य कभी भी विचार के लिए सामने नहीं आएंगे। हालाँकि, हम खुद को इस उक्ति की याद दिला सकते हैं कि कानून सर्वोच्च है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। थॉमस फुलर के शब्दों को दोहराना उपयुक्त होगा, जिन्हें लॉर्ड डेनिंग ने उद्धृत किया है, "आप कभी भी इतने उच्च न हों, कानून आपके ऊपर है"।

96. फैसला देने से पहले, हम यह अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम श्रीमती द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करें। इंदिरा जयसिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया।

97. परिणामस्वरूप, रिट याचिका को आंशिक रूप से निम्नलिखित में अनुमति दी गई है:

शर्तें:

हम मानते हैं और घोषणा करते हैं कि याचिकाकर्ता का इस्तीफ़ा

(1)

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर दिनांक 15 जुलाई 2014 के पद को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार, 17 जुलाई 2014 का आदेश, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित किया गया, जिससे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया।

याचिकाकर्ता को खारिज कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है; और

((ख)

प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता को फिर से नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में। हालाँकि याचिकाकर्ता मजदूरी वापस करने की हकदार नहीं होगी, लेकिन वह सभी के साथ सेवा में निरंतरता की हकदार होगी।

15 जुलाई 2014 से प्रभावी परिणामी लाभ।

98. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, उपरोक्त शर्तों में निपटाए जाएंगे।

अंकित ज्ञान

लिखित याचिका

की आंशिक रूप से अनुमति है।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)